"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2014— वैशाख 5, शक 1936

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर – 492001

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्रमांक 59 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2014

उद्देश्य और कारण

विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 61 आदेशित करती है कि उपयुक्त आयोग टैरिफ निर्धारण के निबंधनों एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अन्य बातों के अलावा बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों से भी मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में आयोग) ने वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्ते) विनियम अधिसूचित किया है, परंतु यह विनियम बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण की पद्धति को विस्तार से समाहित नहीं करते। टैरिफ नीति की कंडिका 5.3 (एच) में बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण के सामान्य उपायों को निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उत्पादन केन्द्रों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति, पारेषण टैरिफ, विद्युत संचारण (व्हींलिंग) हेतु टैरिफ और विद्युत की फुटकर बिक्री हेतु बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों को अपनाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के आधार पर टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2008 जारी किया था। इस 2008 के विनियम में यह स्पष्ट किया गया था कि आयोग द्वारा उन्हीं सिद्धांतों तथा पद्धतियों का अनुसरण किया जायेगा, जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सी.ई.आर.सी (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तो) विनियम 2004 में टैरिफ निर्धारण हेतु उल्लेखित की गई है। यह 2004 का विनियम 01 / 04 / 2004 से पाँच वर्षों तक अर्थात 31 / 03 / 2009 तक प्रभावशील था। इस विनियम 2004 के स्थान पर

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा नया विनियम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 जारी किया गया है जो 01/04/2009 से प्रभावशील है और आगामी 5 वर्ष तक प्रभावशील रहेगा। इसके अतिरिक्त फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के द्वारा एक कार्यदल गठित किया गया, जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्ति धारकों हेतु बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचे संबंधी कुछ अनुशंसाएं भी की गई है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 जिसमें पूर्व के विनियम 2004 के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है एवं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए इस आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के आधार पर टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2008 को बदलते हुए यह नया विनियम बनाने का निर्णय लिया गया है। जैसा भी हो इस आयोग का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2006 वर्तमान में भी प्रभावशील रहेगा जो आवेदकों के द्वारा टैरिफ याचिकाओं के प्रस्तुतिकरण हेतु रहेगा।

''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2010''

विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36) की धारा 181 (2) उप धारा (जेड डी) एवं (जेड एफ) और सहपठित धारा 61, 62 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

भाग–I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीषर्क एवं प्रारंभ

1.1. ये विनियम ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2010'' कहलायेगें।

1.2. अधिनियम के अनुच्छेद 62 के अनुसार ये विनियम टैरिफ निर्धारण हेतु वर्ष 2010–11 एवं इसके बाद की अवधि तक लागू रहेंगे, जब तक नए अधिनियम द्वारा इन्हें अपास्त (सुपरसीड) नहीं किया जाता है।

2. प्रयोज्यता का विस्तार और क्षेत्र :

2.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में संचालन कर रहे निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगेः–

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण उपक्रम (सी.एस.पी.टी.सी.एल), जो राज्य पारेषण उपयोगिता इकाई तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत हैं;

(ब) केन्द्रीय शासन के स्वामित्व या नियंत्रण की उत्पादन कंपनियाँ और ऐसी उत्पादन कंपनियाँ जो उत्पादन की मिश्रित योजना पर आधारित हो और एक से अधिक राज्य में विद्युत का विक्रय कर रही हो, जो केन्द्रीय विद्युत

नियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन हों, को छोड़कर शेष सभी उत्पादन कंपनी;

(स) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी(यों); तथा

(डी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों),

2.2 इन विनियमों के प्रावधानों के असंगत होते हुए भी जहां टैरिफ का निर्धारण बोली की पारदर्शी प्रक्रिया हेतु केन्द्रीय शासन द्वारा जारी कि गई मार्गदर्शिका के अनुसार किया गया हो, वहाँ आयोग अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे टैरिफ को अपनायेगा।

2.3 इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संचालन के मानदण्ड, उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी(यों) को संचालन के अन्य मानदण्डों को अपनाने से नहीं रोकेंगे और ऐसे अन्य मानदण्ड टैरिफ के निर्धारण हेतु लागू होंगे।

2.4 इन विनियमों के अधीन सभी प्रक्रियाएँ आयोग के कार्य संचालन विनियम 2009 के अनुसार तथा उस पर हुए संशोधनों से नियंत्रित होगी।

3. **परिभाषायें :**

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

3.1 '**अधिनियम**' से तात्पर्य है, विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36) और इस पर किया गया कोई संशोधन अथवा इसका उत्तरवर्ती कानून;

3.2 '**अतिरिक्त पूँजीकरण**' से तात्पर्य उस पूंजी से है, जो परियोजना के व्यावसायिक संचालन की दिनांक के बाद व्यय किया गया हो या व्यय किया जाना अनुमनित हो तथा आयोग द्वारा विनियम 16 के अधीन प्रावधानों के अनुसार विवेकपूर्ण जांच करने के पश्चात स्वीकार किए गए है।

3.3 **'कुल राजस्व आवश्यकता' अथवा ए. आर. आर.'** से तात्पर्य उस लागत से है, जो अनुज्ञप्त एवं/या विनियमित व्यापार से संबंधित है तथा इन विनियमों के अनुसार हों एवं जो आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ/प्रभारों से वसूल किया जाना हो;

3.4 **'आवेदक'** से तात्पर्य उस अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से है, जिसने टैरिफ निर्धारण या वार्षिक कार्य निष्पादन की समीक्षा हेतु इन विनियमों और अधिनियम के अनुसार आवेदन किया हो। इसमें वही अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी सम्मिलित है जिसके टैरिफ और प्रभारों को आयोग द्वारा तय किया जाना है;

3.5 '**अंकेक्षक**' से तात्पर्य ऐसे अंकेक्षक से है, जिसे उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी ने कंपनी एक्ट 1956 (1956 का 1) की धाराओं 224 एवं 619 या कोई अन्य कानून जो उस समय लागू हों, के अनुसार नियुक्त किया हो;

3.6 '**सहायक ऊर्जा खपत' या 'ए.यू.एक्स**' से तात्पर्य उस ऊर्जा से है, जिसे किसी समय विशेष में उत्पादन केंद्र के सहायक उपकरणों द्वारा उपभोग किया गया हो तथा उसी समय विशेष में ट्रांसफार्मर में हानि के रूप में खपत हो गई हो, का योग,

जिसे उत्पादन केन्द्र में उपस्थित सभी जनरेटरों के टर्मिनल पर उपलब्ध ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो;

3.7 **हितग्राही**

(a) **उत्पादन केन्द्र** के संबंध में उस व्यक्ति को हितग्राही माना जोयगा जो वार्षिक नियत प्रभारों और/या ऊर्जा प्रभारों का भुगतान कर विद्युत क्रय करता हो; और

(b) **पारेषण तंत्र** के संबंध में उस मुक्त उपयोग ग्राहक को हितग्राही माना जोयगा, जैसाकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम, 2005 में परिभाषित है, इनमें वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी शामिल है जिन्होंने राज्य पारेषण इकाई/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से ट्रांसमिशन सर्विस ऐग्रीमेंट किया हो;

3.8 **पूँजीगत मूल्य** से तात्पर्य है, जैसा कि अधिनियम 14 में परिभाषित है।

3.9 **कानून में परिवर्तन** से तात्पर्य है निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति का आ जाना

(i) ऐसा कोई भी कानून जो संविलियन, औपचारिक कानून सुधार, संशोधन या किसी कानून की समाहित से संबंधित हो, प्रभावशील हो जाए।

(ii) कानून की किसी व्याख्या में सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण, भारत सरकार या जो ऐसी व्याख्या हेतु कानूनी रूप में अंतिम अधिकार प्राप्त हो में परिवर्तन करे अथवा

(iii) किसी सक्षम संविधि प्राधिकारी द्वारा राय, अनुमति, अनुज्ञप्ति उपलब्ध अथवा परियोजना हेतु प्राप्त की जाये।

3.10 **''आयोग''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग; जैसा कि अधिनियम के अनुच्छेद 82 के उप नियम (1) में दिया है।

3.11 **''नियंत्रण अवधि''** से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली तीन से पांच वर्ष की विशिष्ट अवधि वाली कोई बहुवर्षीय अवधि, जिसके लिए राजस्व आवश्यकता और टैरिफ निर्धारण के सिद्धांत तय किये जावेंगे;

3.12 ''**विभेदक दिनांक (कट ऑफ डेट)**'' से तात्पर्य है 31 मार्च की वार्षिक लेखाबंदी जो परियोजना के व्यावसायिक संचालन के दो वर्ष पश्चात हो और ऐसी परियोजना जो व्यावसायिक संचालन हेतु वर्ष के अंतिम तिमाही में घोषित की गई हो वहां ऐसी विभेदक दिनांक वाणिज्य संचालन के वर्ष से तीन वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च होगी।

3.13 **''वाणिज्यिक संचालन का दिनांक''** या सी.ओ.डी; से तात्पर्य है–

3.13.1 तापीय उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई या ब्लॉक (समूह) के संबंध में, हितग्राहियों को सूचित करके उत्पादन इकाई के सफल परीक्षण संचालन के द्वारा अधिकतम निरंतर क्षमता या स्थापित क्षमता को प्रदर्शित कर उत्पादक द्वारा घोषित दिनांक को; 00.00 बजे से; जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता/छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड संहिता और समय–समय पर यथासंशोधित में अनुसूचित हो का पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाए, और समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र के संबंध में उत्पादन केन्द्र की अंतिम इकाई ब्लॉक की संचालन दिनांक माना जाए।

3.13.2 किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के उपरांत उत्पादन कम्पनी द्वारा घोषित वह दिनांक जिसके 00:00 बजे से, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसरण में अनुसूचीकरण प्रक्रिया के अनुरूप पूर्णतः क्रियान्वयन हो जाता है, और समग्र रूप से उस उत्पादन केन्द्र के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के उपरांत एक सफल परीक्षण संचालन के माध्यम से उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता के अनुसार बढ़त क्षमता को प्रदर्शित करने की घोषित दिनांक।

टीपः 1. ऐसे प्रकरण में जहॉ बांध या जलाशय सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र, जलाशय या तालाब के अपर्याप्त जल स्तर की वजह से प्रतिष्ठापित क्षमता से संगत बढ़त क्षमता प्रदिर्शित नहीं कर पाता है, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र की अंतिम इकाई के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक को समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक संचालन दिनांक समझा जायेगा, बशर्ते ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु स्थापित क्षमता के समतुल्य बढ़त क्षमता प्रदर्शित करना, तब अनिवार्य होगा जब और जहॉ ऐसे जलाशय या तालाब का जल स्तर प्राप्त हो जाता है।

2. शुद्ध रूप से नदी प्रवाह वाले जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में यदि ऐसी इकाई या ऐसा विद्युत उत्पादन केन्द्र वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत दुर्बल प्रवाह अवधि, जब ऐसे प्रदर्शन हेतु जल पर्याप्त न हो, घोषित किया जाता है तब ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई को स्थापित क्षमता के समतुल्य बढ़त क्षमता प्रदर्शित करना तब अनिवार्य होगा जब और जहॉ पर्याप्त जलागम उपलब्ध हो जाये।

3.13.3 पारेषण प्रणाली के संबंध में राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित दिनांक को 00.00 बजे से, जब सफल चार्जिंग और परीक्षण संचालन के पश्चात् पारेषण प्रणाली नियमित सेवा में आ जाती है;

परन्तु, ऐसी दिनांक किसी कैलेन्डर माह की पहली तिथि होगी और इसकी उपलब्धता उसी दिनांक से गिनी जायेगी;

परन्तु, यह और भी कि ऐसे प्रकरण में जहॉ पारेषण प्रणाली के तत्व (ऐलीमेंट) नियमित सेवा के लिए तैयार हों, किन्तु वे ऐसे कारणों से सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ हों जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इसके प्रदायकर्ताओं अथवा संविदाकर्ताओं

की वजह से न हो, तो आयोग ऐसे तत्वों के नियमित सेवा में आने से पूर्व की दिनांक को वाणिज्यिक संचालन का दिनांक अनुमोदित कर सकेगा।

3.13.4 वितरण प्रणाली के संबंध में वाणिज्यिक संचालन का दिनांक या सी.ओ.डी से अभिप्रेत है, विद्युत लाईनों या उपकेन्द्रों को उसके घोषित वोल्टेज स्तर तक आवेशित करने का दिनांक। उन मामलों में जहाँ लाईन(नों)/उपकेन्द्र(द्रों) को आवेशण हेतु तैयार घोषित किया गया हो परन्तु अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कारणों से, जो उस पर आरोपणीय न हो, आवेशण करने योग्य न हो, वहां ऐसी लाईन(नों)/उपकेन्द्र(ओं) आवेशण योग्य घोषित किये जाने से सात दिनों के पश्चात् की तिथि को माना जावेगा;

3.14 **दिन से अभिप्रेत है**, 00:00 अवधि से आरंभ होकर 24 घंटे का समय।

3.15 **''घोषित क्षमता अथवा डी.सी.''** से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में घोषित क्षमता से अभिप्रेत है, जल तथा ईंधन की उपलब्धता को यथोचित रूप से ध्यान में रखते हुए,दिन की किसी अवधि या संपूर्ण दिन के लिए उस उत्पादन केन्द्र द्वारा मेगावाट में घोषित *एक्स बस* विद्युत प्रदान करने की क्षमता, जैसा कि संबंधित अधिनियम में प्रावधानित हो।

3.16 **''हाइड्रो उत्पादन विद्युत केंद्र की डिजाइन ऊर्जा''** से तात्पर्य है ऐसी ऊर्जा की मात्रा जो हाइड्रो उत्पादन केंद्र की 95: उत्पादन क्षमता में से अवधारित वर्ष में 90: उत्पादित कर सकती है।

3.17 ''**वितरण हानि**'' से अभिप्रेत है, किसी अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र में होने वाला ऊर्जा क्षय;

3.18 **''ई.आर.सी''** से अभिप्रेत है, टैरिफ एवं प्रभारों से सम्भावित राजस्व, जिसे अनुज्ञप्तिधारी वसूलने हेतु अनुमत हो;

3.19 ''**मौजूदा उत्पादन केंद्र**'' से तात्पर्य है ऐसा विद्युत उत्पादन केंद्र जो 01/04/2010 के पहले व्यावसायिक संचालन हेतु घोषित किया जा चुका हो।

3.20 ''**मौजूदा परियोजना**'' से तात्पर्य, ऐसी परियोजना से है जो 01/04/2010 के पूर्व व्यावसायिक संचालन हेतु घोषित किया जा चुका हो।

3.21 **''सकल कैलोरिफिक मूल्य अथवा जी.सी.व्ही ''** ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में इससे अभिप्रेत है, एक किलोग्राम के ठोस ईंधन अथवा एक लीटर गीले ईधन की संपूर्ण ज्वलनशीलता द्वारा किलो कैलोरी में उत्पादित की गई ऊष्मा;

3.22 ''**ग्रास स्टेशन हिट रेट या जी.एच.आर**'' से तात्पर्य है थर्मल उत्पादन केंद्र की जनरेटर टर्मिनल से एक किलोवॉट घंटे (के.डब्ल्यू.एच.) विद्युत उत्पादन हेतु वांछित किलो कैलोरी में तापीय ऊर्जा की मात्रा।

3.23 **''अनिश्चित पावर''** से अभिप्रेत है, किसी एक इकाई अथवा उत्पादन केन्द्र के ब्लॉक द्वारा अपने व्यवसायिक संचालन के पूर्व उत्पादित विद्युत जो ग्रिड में डाली गई हो।

3.24 **''स्थापित क्षमता''** अथवा **आई.सी.** से अभिप्रेत है, उत्पादन केंद्र की सभी इकाइयों की नाम पट्टिका पर दर्शित क्षमताओं का योग अथवा समय–समय पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित जनरेटर टर्मिनल पर मानी गई उत्पादन केन्द्र की क्षमता, जो आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की गई।

3.25 **''राज्यांतरिक पारेषण ग्राहक''** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे अनुबंध के अंतर्गत **राज्यांतरिक** पारेषण तंत्र को पारेषण प्रभारों एवं अन्य संबंधित प्रभारों के भुगतान पश्चात् प्रयोग की अनुमति दी गई है।

3.26 विद्युत उत्पादन केन्द्र के इकाई के संबंध में **''अधिकतम लगातार रेटिंग'' या एम. सी.आर.''** से अभिप्रेत है, जनरेटर सिरों पर जल अथवा वाष्प की प्रविष्टि से (यदि प्रयोज्य हो) वह अधिकतम लगातार उत्पादन, जो मानकीकृत मापदण्डों एवं 50 हर्ट्ज ग्रिड आवृति पर शोधित और विनिर्दिष्ट स्थानीय स्थिति पर उत्पादक द्वारा प्रत्याभूत हो।

3.27 ''**उत्पादन केंद्रों को वार्षिक रूप से संयंत्र उपलब्धता कारक** या **(एन.ए.पी.ए.एफ)''** जो उत्पादन केंद्रों के संबंध में है का तात्पर्य है जैसा विनियम के पैरा 33.1 में थर्मल उत्पादन केंद्र तथा विनियम 34(A)(i)(1) में हायडल उत्पादन केंद्र के बारे में उल्लेखित किया गया है।

3.28 ''**संचालन व संधारण व्यय** या **ओ.एंड.एम व्यय''** से तात्पर्य ऐसे खर्चो से है जो परियोजना अथवा उसके किसी भाग के संचालन व संधारण पर होने वाला व्यय जिसमें सम्मिलित है जनशक्ति, मरम्मत, कलपुर्जे, बीमा, उपभोग्य सामाग्री या अन्य ओवर हेड खर्चो पर किए गए व्यय

3.29 **मूल परियोजना लागत** से तात्पर्य, ऐसे पूंजीगत व्यय से है जो उत्पादन कंपनी या पारेषण कंपनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा परियोजना के मूल स्वरूप के अंतर्गत आयोग द्वारा यथा अनुमत कट ऑफ दिनांक तक पूंजीगत व्यय।

3.30 **''संयंत्र उपलब्धता कारक**'' किसी उत्पादन केन्द्र के संबंध में किसी अवधि के लिए अभिप्रेत है, प्रतिदिन घोषित क्षमताओं के उस अवधि विशेष के सभी दिनों का औसत, जो उस उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावॉट में) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो, जिससे मानकीकृत सहायक विद्युत उपभोग घटा दिया जाये;

3.31 **''परियोजना**'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति कोई उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली, और जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, इसमें सम्मलित है उत्पादन सुविधाओं के समस्त घटक, जैसे बांध, जलागम, संचालन प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र और योजना की उत्पादन इकाइयां जो विद्युत उत्पादन हेतु प्रर्युक्त की गई हों;

3.32 **''रेटेड वोल्टेज''** से अभिप्रेत है, उत्पादनकर्ता का वह रूपांकित वोल्टेज, जिस पर पारेषण प्रणाली संचालित करने हेतु रूपांकित की गई है और उसमें ऐसा निम्नतर वोल्टेज सम्मिलित है, जिस पर कोई पारेषण लाईन चार्ज की जाती है अथवा

राज्यांतरिक पारेषण उपभोक्ता के परामर्श से कुछ समय के लिए चार्ज की जाती है;

3.33 **''विनियमित व्यापार''** से अभिप्रेत है, ऐसे कृत्य एवं क्रियाकलाप, जो आयोग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या अधिनियम के अधीन किसी माने हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा और अधिनियम के प्रावधानों एवं आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम की शर्तों के अनुरूप किसी उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाना अपेक्षित हों;

3.34 **''फुटकर आपूर्ति के व्यापार''** से अभिप्रेत है, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर, वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय किये जाने का व्यापार;

3.35 **'फुटकर आपूर्ति टैरिफ''** से अभिप्रेत है, वह दर जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं पर प्रभारित किया जाता है, और जिसमें व्हीलिंग और फुटकर आपूर्ति सेवाओं के लिए प्रभार भी सम्मिलित हैं;

3.36 जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में ''**रन आफ रिव्हर विद्युत केन्द्र**'' से अभिप्रेत है, कोई जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जिस पर अपस्ट्रीम पोन्डेज न हो।

3.37 **''पोन्डेज सहित रन आफ रिव्हर विद्युत उत्पादन केन्द्र''** से अभिप्रेत है, विद्युत की मांग के प्रतिदिन के उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए पर्याप्त पोन्डेज के साथ जल विद्युत उत्पादन केन्द्र;

3.38 जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में **''अनुसूचित ऊर्जा''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एक दिवसीय अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा प्रेषित की जाने वाली यथा अनुसूचित विद्युत की मात्रा;

3.39 किसी समय अथवा किसी अवधि विशेष या समय खण्ड में **''अनुसूचित उत्पादन अथवा एस.जी''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई मेगावाट अथवा एम.डब्ल्यू.एच. (एक्स बस) में उत्पादन की अनुसूची;

3.40 **''राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा एस.एल.डी सी.''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कृत्यों का निर्वहन करने हेतु राज्य शासन द्वारा स्थापित किया केन्द्र;

3.41 जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में **''भंडारण वाले विद्युत केन्द्र''** से अभिप्रेत है, वृहद् जल भंडारण क्षमता सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र, जो मांग के अनुसार विद्युत उत्पादन में फेरबदल करने में सक्षम हो;

3.42 ''**टैरिफ अवधारित कोष''** यह वह कोष होगा जिसका पूर्व प्रावधान वर्ष 2009–10 के लिए टैरिफ आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश जो 30.05.2009 को जारी कि गई में होगा यह कोष टैरिफ स्थिरता बनाए रखने में तथा ग्राहकों को अच्छी सेवाएँ देने हेतु होगा इस कोष के संचालन हेतु आयोग अलग से विनियम जारी करेगा।

3.43 **''पारेषण सेवा अनुबंध''** से अभिप्रेत है, वह करार, संविदा, सहमति का ज्ञापन (मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग) या कोई ऐसा दस्तावेज जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण तंत्र के हितग्राही के मध्य निष्पादित किया गया हो और राज्यांतरिक पारेषण ग्राहक जो पारेषण तंत्र के संचालन पक्ष के हो।

3.44 **''पारेषण तंत्र''** से अभिप्रेत है, संबंधित उपकेन्द्रों सहित या रहित पारेषण लाईन अथवा लाईनों का समूह और उसमें ऐसे संबद्ध यंत्र सम्मिलित है, जिनका विद्युत पारेषण के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता हो;

3.45 ''**इकाई**'' थर्मल उत्पादन केंद्र के इकाई के संबंध में तात्पर्य है जिसमें भाप से संचालित टर्बाइन, जनरेटर और अनुषांगिक तथा हाइड्रो जनरेटर केंद्र के संबंध में तात्पर्य जल चलित, टर्बाइन, जनरेटर एवं उसके अनुषांगी स्टेशनों से है।

3.46 **''उपयोगी काल (Useful life)''** उत्पादन केंद्र, पारेषण तंत्र एवं वितरण इकाई के लिए उपयोगी काल निम्नानुसार माना जाएगा।

(a)	कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केंद्र	25 वर्ष
(b)	एसी व डीसी उप केंद्र	25 वर्ष
(c)	हाइड्रो उत्पादन केंद्र	35 वर्ष
(d)	पारेषण व वितरण लाईन	35 वर्ष

3.47 **''व्हीलिंग''** से अभिप्रेत है, ऐसा संचालन जहां यथास्थिति किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/ राज्य पारेषण उपक्रम अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाएं, अधिनियम की धारा 62 के अधीन निर्धारित किए जाने वाले प्रभारों के भुगतान का विद्युत के संवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जाती है;

3.48 **''व्हीलिंग व्यापार''** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के संवहन हेतु वितरण तंत्र के संचालन एवं संधारण का व्यापार;

3.49 **''वर्ष''** से अभिप्रेत है, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष;

(a) **''चालू वर्ष** (Current year)'' से अभिप्रेत है, वह वर्ष जिसके दौरान वार्षिक लेखों का कथन या टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावे;

(b) **''आगामी वर्ष** (Ensuing Year)'' से अभिप्रेत है, चालू वर्ष के तुरन्त पश्चात् आने वाला वर्ष; और

(c) **''पूर्व वर्ष** (Previous yea)'' से अभिप्रेत है, वह वर्ष जो चालू वर्ष के ठीक पहले रहा हो।

इन विनियमों में प्रयुक्त परन्तु यहां अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में और आयोग द्वारा विनिर्मित अन्य विनियमों में दिया गया है और परिभाषित है।

———0———

भाग – 2

बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखा एवं उपागमन तय करने की प्रक्रिया एवं पूँजीगत मूल्य तथा पूँजीगत संरचना की गणना

4. बहुवर्षीय टैरिफ (एम.वाय.टी) की रूपरेखा

4.1 आयोग, इन विनियमों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनियम की धारा 61,और 62 में सम्मिलित सिद्धांतों, केन्द्रीय शासन द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति द्वारा मार्गदर्शित रहा है।

4.2 वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर) और प्रभारों से अनुमानित राजस्व (ई.आर.सी) के आंकलन हेतु बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखा निम्नलिखित पर आधारित होगीः–

(a) उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के प्रारंभ के पूर्व व्यापार योजना जो नियंत्रण अवधि से कम अवधि का न हो आयोग द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(b) उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी, द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ए.आर.आर और ई.आर.सी के विभिन्न वित्तीय एवं संचालनीय मानदण्डों के आधार पर तर्कसंगत धारणा के आधार पर पूर्वानुमान;

(c) आयोग के द्वारा विनिर्दिष्ट सचलों (Variables) को उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी(यों) का कार्य प्रदर्शन उन्नत किये जाने योग्य पाया जावे, वहां आयोग द्वारा यथा–अनुबद्ध विशिष्ट प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन के माध्यम से उन्नत किया जाएगा।

(d) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ का निर्धारण, अनुमत वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं प्रदर्शन लक्ष्यों के आधार पर उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य पारेषण उपक्रम ं के लिए नियंत्रण अवधि के आरंभ से किया जायेगा।

(e) टैरिफ का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित ए.आर.आर पर आधारित तथा कार्यक्षमता प्रदर्शन का लक्ष्य जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय वर्ष के आरंभ में होगा।

(f) प्रदर्शन (performance) की वार्षिक समीक्षा साथ–साथ अनुमोदित पूर्वानुमान एवं नियंत्रण योग्य तथा नियंत्रण से परे संबद्ध प्रदर्शन दक्षता (performance efficiency) में भिन्नता।

(g) नियंत्रण योग्य विषयों के संबंध में दक्षता से जुड़ी हुई अनुमोदित लाभ अथवा हानियों के बंटवारे की प्रक्रिया;

(h) नियंत्रण से परे विषयों के संबंध में अनुमोदित लाभ अथवा हानियों को अन्तरित करने की प्रक्रिया;

(i) वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन एवं वास्तविकीकरण के आधार पर नियंत्रण अवधि के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ की वार्षिक पुनर्निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ का पुनरीक्षण आयोग द्वारा तय किया जायेगा।

5. **बहुवर्षीय टैरिफ में उपागमन।**

ए.आर.आर के आंकलन के लिए बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखा निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधरित होगीः–

5.1 **नियंत्रण अवधि :** बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अधीन प्रथम नियंत्रण अवधि तीन वर्षो की होगी यह पाँच वर्षों तक बढ़ाई जा सकेगी और वह वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रारंभ होगी तथा बाद की नियंत्रण अवधियां सामान्यतः 5 वर्षो की या ऐसी अन्य अवधि होगी जैसा कि समय–समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

5.2 **आधार वर्ष** का तात्पर्य नियंत्रण अवधि के शुरू के वर्ष के ठीक पहले का वित्तीय वर्ष होगा उदाहरण के लिए यदि नियंत्रण वर्ष वित्तीय वर्ष 2010–11 से शुरू होता है तो आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2009–10 होगा, नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष के मूल्यों का निर्धारण उपलब्ध आडिटेड/अनआडिटेड लेखा आधार वर्ष के ठीक पिछले पांच वर्षो के आधार पर होगा जिन्हें भलीभांति जांचा गया हो,

5.3 दक्षता से जुड़े नियंत्रण अधीन मदें–दक्षता से जुड़ी नियंत्रण अधीन मदें निम्न प्रकार हैः–

(1) संचालन संधारण लागत (2) पारेषण क्षति
(3) वितरण हानियां (4) संग्रह दक्षता
(5) इस विनियम के अध्याय 3 और 4 में दी गई मदें जिसमें मानक और शिथिलीकृत मानक सम्मिलित हैं।

5.4 **नियंत्रणहीन मदें** : निम्नलिखित मदें नियंत्रणहीन मदें होंगी –

(i) टैरिफ पालिसी के कंडिका 5.3 (एच)(4) के अनुसार नियंत्रणहीन मदों में सम्मिलित होंगे (सीमित नहीं) ईंधन व्यय अवमूल्यन कारक व्यय टैक्स, विपरीत प्राकृतिक कारणों से जल–ताप मिक्स के कारण हुए ऊर्जा खरीद व्यय या कोई अन्य व्यय जिसे आयोग स्वीकृत करें।

(ii) मिश्रित विक्रय (सेल्स मिक्स) (iii) विक्रय मात्रा
(vi) अन्य कोई कारण जो रेग्युलेशन 5.3 और 5.4 (i),5.4(ii),5.4(iii) में उल्लेखित न हो।

5.5 **लक्ष्य** : उन मदों के लिए आयोग लक्ष्य निर्धारित करेगा, जिन्हें उपरोक्तानुसार नियंत्रण योग्य माना गया हो। इसके अतिरिक्त विशिष्ट सचलों हेतु ट्रेजेक्टरी का विनिश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा। जहां आवेदक के कार्य प्रदर्शन में प्रोत्साहन और हतोत्साहन के माध्यम से उन्नति की संभावना पाई जावे वहां विशिष्ट प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन आयोग अनुबद्ध करेगा।

5.6 **लाभ का वितरणः** आवेदक दक्षता से जुड़े नियंत्रणहीन कारकों के कारण होने वाले कुल राजस्व आवश्यकता के लाभ– हानि पत्रक अलग–अलग प्रस्तुत करेगा।

5.7 लाभ एवं हानियों के उपभोक्ताओं के साथ बंटवारे के उद्देश्य के लिए केवल कुल शुद्ध लाभ अथवा हानियों पर विचार किया जावेगा।

5.8 संचालनीय कुशलता से आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों से उच्चतर लाभ अर्जित किये जाने में कोई पाबंदी नहीं होगी।

5.9 सकल शुद्ध प्राप्तियाँ जो उच्चतर कुशलता के कारण निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त की गई है उनके बंटवारे का तंत्र इस प्रकार होगाः–

(ए) सकल शुद्ध प्राप्तियों का एक तिहाई जो टैरिफ में निर्धारित लक्ष्य से अच्छी प्राप्तियों के नियंत्रण अधीन मदों पर प्राप्त है वह लाभार्थियों/उपभोक्ताओं के पक्ष में टैरिफ छूट के रूप में अंतरित किया जाएगा।

(बी) टैरिफ में निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्तियाँ जो दक्षता से जुड़ी हुई नियंत्रण अधीन मदों से संबंधित है का एक तिहाई भाग टैरिफ स्थिरता निधि में जमा किया जाएगा।

(सी) दक्षता संबंधित नियंत्रण योग्य मदों की टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्तियों का एक तिहाई भाग उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी जैसा भी प्रकरण हो के द्वारा अपने पास रखा जाएगा और उसका एक उचित भाग संबंधित कंपनी के कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रमों में व्यय किया जाएगा इस प्रकार की प्राप्तियों को खर्च करने के पूर्व संबंधित कंपनी को आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(डी) अनियंत्रिण योग्य मदों के पक्ष में सकल प्राप्तियाँ (टैरिफ आदेश अनुसार) जो इस अवधि में होगी उनको लाभार्थियों/उपभोक्ताओं के मध्य आगामी ए.आर. आर. और/अथवा टैरिफ स्थिरता निधि में आयोग द्वारा आदेशित अनुसार स्थानांतरित की जाएगी।

5.10 **सकल हानियां यदि कोई हो के विभाजन का तरीकाः–**

(ए) नियंत्रित मदों में अल्प प्राप्तियों (under achievement) के कारण होने वाली सकल शुद्ध हानि जो दक्षता से संबंधित नियंत्रण योग्य मदों के टैरिफ आदेश में दिए गए लक्ष्य के संदर्भ में इस अवधि में होगी को उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी हो, के द्वारा वहन की जाएगी।

(बी) सकल शुद्ध हानि अनियंत्रित मदों के कारण (टैरिफ आदेश के आधार पर) ऐसी समयावधि हेतु उपभोक्ताओं/लाभार्थियों को आगामी ए.आर.आर. के माध्यम से/अथवा टैरिफ स्थिरता निधि में जैसा आयोग तय करें स्थानांतरित कर दी जाएगी।

6. कार्य योजना (बिजनेस प्लान)

6.1 उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के एक अप्रैल अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य दिनांक को आयोग के अनुमोदनार्थ एक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। यह कार्य योजना, प्रत्येक वर्ष के लिए विस्तृत योजना के साथ संपूर्ण नियंत्रण अवधि को, आवरित करेगी।

6.2 कार्य योजना में अन्य बातों के अलावा पूंजी निवेश योजना, पूंजीकरण अनुसूची, पूंजीगत ढाँचा, प्रस्तावित निवेश के लिए वित्तीय योजना, विद्युत विक्रय/मांग का पूर्वानुमान, विद्युत भार का पूर्वानुमान विद्युत क्रय की योजना, गुणवत्ता के लक्ष्य और विद्युत ह्रास में कमी सहित प्रस्तावित कार्यदक्षता, संचालन लागत में बचत तथा आयोग द्वारा वांछित किसी अन्य जानकारी का समावेश होगा।

6.3 आयोग, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो तो, और आपत्तिकर्ताओं एवं जनसामान्य से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना की संवीक्षा (स्क्रूटिनाइस) एवं उसका अनुमोदन करेगा।

6.4 आवेदक को बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन विहित समयावधि (स्टीपूलेटेड पीरियेड) के भीतर प्रस्तुत करने की सुविधा के अनुक्रम में, कार्य योजना, उसकी प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर अनुमोदित की जावेगी।

6.5 प्राथमिकता या आवश्यक आवश्यकताओं पर आधारित होने पर उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना में परिवर्तन का निवेदन आयोग से कर सकता है और ऐसे सभी कार्य आयोग की पूर्व अनुमति से ही किए जाएगें।

7. टैरिफ का निर्धारण

7.1 उत्पादन केंद्रों के टैरिफ निर्धारण पूरे उत्पादन केंद्र अथवा एक स्तर (स्टेज) या इकाई या उत्पादन केंद्र के ब्लॉक के लिए निर्धारित किया जाएगा और पारेषण तंत्र का टैरिफ निर्धारण समस्त पारेषण तंत्र या उसके कोई भाग के लिए निर्धारित किया जाएगा। फुटकर टैरिफ व्हीलिंग प्रभार अन्य प्रभार जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित होंगे भी आयोग द्वारा समस्त वितरण तंत्र के लिए तय किए जांएगे।

7.2 टैरिफ निर्धारण के लिए यदि आवश्यकता हो तो परियोजना की पारेषण लाईनों उप तंत्र समूह या इकाई जो परियोजना से संबंधित हो के पूंजीगत मूल्य को स्तरों स्टेजेस् में बांट लेना चाहिए।

तथापि यदि पूंजी लागत का खण्डवार विवरण जो परियोजना के विभिन्न स्तरों पर इकाइयों या समूह और पारेषण लाईनों या उपकेंद्रों से संबंधित है, उपलब्ध नहीं है और चालू परियोजनाओं के लिए एक जैसी सुविधाओं को अनुमानित रूप से इकाई

की स्थापित क्षमता, लाईन की लंबाई एवं बे की संख्या के आधार पर औसत रूप से निकालना चाहिए।

तथापि यदि बहुउद्देशीय हाइड्रो योजना है जिसमें सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा अंश के साथ है तो पूंजी लागत जो ऊर्जा अंश हेतु योजना में सम्मिलित है उसे ही टैरिफ निर्धारण हेतु लिया जाएगा।

8. बहुवर्षीय टैरिफ हेतु आवेदन

8.1 उत्पादन कंपनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण इकाई संपूर्ण नियंत्रण अवधि हेतु प्रत्येक वर्ष के ए.आर.आर एवं टैरिफ के निर्धारण के अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी ए.आर.आर के अनुमोदन हेतु समस्त नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एवं फुटकर आपूर्ति टैरिफ आगामी वर्ष (इन्स्यूइंग ईयर) के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार के आवेदन नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 120 दिन पहले प्रस्तुत करेगा। आवेदक आयोग द्वारा पूर्व आदेशों में दिए गए` निर्देशों का पालन प्रतिवेदन पत्रक भी प्रस्तुत करेगा।

8.2 आवेदकों के सभी आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम 2004 और इसमें संशोधन (संशोधनों) और अनुज्ञप्तिधारी की शर्तो के विनिश्चय के रूप में भी होना चाहिए। बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन ऐसे प्रपत्र में होना चाहिए जो आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए हो।

8.3 टैरिफ हेतु आवेदन तथा सही तरह से भरे गए प्रपत्र एवं उसके आवश्यक औचित्य को याचिका के रूप में माना जाएगा एवं उनको छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (व्यापार संचालन) विनियम 2009 और इसके समय–समय पर संशोधन (संशोधनों) के अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8.4 टैरिफ निर्धारण हेतु प्रत्येक आवेदन या पूर्व निर्धारित टैरिफ की निरंतरता हेतु सभी आवेदनों के साथ निर्धारित शुल्क, जैसाकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क व प्रभार) विनियम 2009 एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों में दर्शाया गया है, देय होगा।

आयोग स्पष्टीकरण अतिरिक्त जानकारी जो प्रार्थना पत्र से संबंधित है मांग सकता है और आवेदक से चाहा गया स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी आयोग को निर्धारित समय में देना होगी।

9. बहुवर्षीय टैरिफ का आदेश लागू होने के पूर्व की अवधि के लिए वास्तविकीकरणः–

9.1 उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के लागू होने के पूर्ववर्ती वर्ष का वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा प्रभारों से प्राप्त राजस्व, कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन और विचलनों का समायोजन उन विनियमों के अधीन होगा जिसके लिए आयोग ने टैरिफ आदेश पारित किये हों, उनकी उपलब्ध अन्य अंकेक्षित जानकारी और आयोग की सतर्क जांच पर आधारित होंगे।

9.2 उपरोक्त वास्तविकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप लाभ एवं हानि आयोग द्वारा तय की जायेगी। यह लाभ हानि को टैरिफ स्थिरता निधि को प्रेषित किए जायेंगे और/अथवा ए.आर.आर. में समायोजित किए जायेगें।

10. बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन का निराकरणः–

10.1 आयोग के द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ संबंधी आवेदनों का निराकरण इन विनियमों के अंतर्गत और कार्य संचालन विनियम 2009 जो समय–समय पर संशोधन के अधीन है के अनुसार किया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सी.एस.पी.डी.सी.एल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (सी.एस.पी.टी. सी.एल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित (सी.एस.पी.जी.सी.एल) या अन्य आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जायेगें।

10.2 आवेदक, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित प्रस्तावों का सार, आवेदन के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए जो विभिन्न रूचि रखने वाले उपभोक्ताओं, (स्टेकहोल्डर) के हित में हो, को राज्य में तथा आवेदक के क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम तीने समाचार पत्रों में, जिसमें से दो हिन्दी एवं एक अंग्रेजी का हो, प्रकाशित करेगा।

10.3 टैरिफ आवेदन की प्रतिलिपियां विक्रय हेतु आयोग के कार्यालय में और आवेदक के ऐसे कार्यालयों में, जैसा कि आयोग निर्देशित करें, विक्रय हेतु उपलब्ध कराई जावेंगी। ये दस्तावेज आवेदक के वेबसाइट से भी डाउन लोड किये जा सकने वाले प्रारूप में रखे जावेंगे ताकि वे सभी भागीदारों के सुगम पहुंच में रहे।

10.4 आवेदक द्वारा प्रस्तावित ए.आर.आर. और ई.आर.सी., विद्यमान एवं प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जावेगी और प्रस्तावों पर निर्णय देने के पहले आयोग ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सुन सकेगा।

10.5 आवेदक की प्रस्तुतियों के आधार पर आयोग, ऐसे सुधारों और/या ऐसी शर्तों, जैसा कि आवश्यक एवं उचित समझा जावे, के साथ आवेदन को स्वीकार कर सकेगा और आवेदन की प्राप्ति से 120 दिनों के भीतर सामान्यजन एवं आक्षेपकर्ताओं के आपत्तियों/सुझावों पर विचारोपरांत आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा नियंत्रण योग्य मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित होंगे एवं आवेदक के द्वारा नियंत्रित अनुमोदित व्यापारों के लिए ए.आर.आर अनुमोदन किया जायेगा।

10.6 आयोग, अधिनियम, इन विनियमों; टैरिफ नीति और अन्य सुसंगत नीतियों या विनियमों, जैसी भी परिस्थिति हो, के प्रावधानों एवं उद्देश्यों के अनुरूप टैरिफ का अवधारण करेगा।

10.7 टैरिफ अवधारण संबंधी सभी आदेश उस समयावधि को भी दर्शायेंगे, जिनके लिए वह लागू किया गया हो। आयोग विद्यमान टैरिफ को आदेश में उल्लेखित समयावधि के परे किसी समयावधि तक जारी रखने हेतु सहमत हो सकेगा, यदि आयोग इस

नतीजे पर पहुंचे कि निरंतरता के लिए आवेदक के द्वारा आवेदन में दिये आधार न्यायोचित हैं।

10.8 आयोग आदेश करने के 7 दिनों के भीतर उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि राज्य शासन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी को देगा।

10.9 आवेदक इस आदेश का सार कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से दो हिन्दी एवं एक अंग्रेजी का हो तथा जिनका प्रदाय क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा। ऐसे प्रकाशन से सात दिवस की अवधि पूरी होने के पश्चात ही यह टैरिफ लागू होगा।

11. कार्य प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन एवं टैरिफ अवधारण (सेटिंग)

11.1 उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रारंभ से कम से कम 120 दिन पहले, कार्य प्रदर्शन के वार्षिक पुनर्विलोकन (ए.पी.आर.), संशोधित कार्य योजना, ऊर्जा क्रय योजना तथा टैरिफ के पुनर्निर्धारण के लिए, आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी आयोग द्वारा अनुमोदित पूर्वानुमानों से कार्य प्रदर्शन के विचलन एवं कारणों तथा टैरिफ पुनर्निर्धारण की आवश्यकता के आंकलन करने के दृष्टिकोण से मांगी गई जानकारी उपलब्ध करायेगें। सामान्यतः टैरिफ आदेश में लक्षित संचालन मापदण्ड वार्षिक रूप से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

11.2 उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी किसी अतिरिक्त जानकारी, जो उन्हें पूर्व में नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचे के अधीन पूर्वानुमान के समय ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, के आधार पर ए.आर.आर. एवं ई.आर.सी. में, नियंत्रण अवधि की शेष बची अवधि के लिए वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन के समय, परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

11.3 आयोग, अतिरिक्त जानकारी, जो पूर्व में नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचे के अधीन पूर्वानुमान के समय ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, को देखते हुए, स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन किये जाने पर, ए.आर.आर. और ई.आर.सी. के अनुमोदन को; नियंत्रण अवधि के शेष भाग के लिए, वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन के समय संशोधित कर सकेगा।

11.4 उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी, वार्षिक कार्य निष्पादन पुनर्विलोकन (ए.पी.आरा.) आवेदन में पिछले वर्ष, चालू वर्ष एवं आने वाले वर्ष के लिए वित्तीय एवं कार्य प्रदर्शन की सूचना, अनुमानित राजस्व एवं व्यय की गणना (एक्सपेक्टेड रेवेन्यू केल्कुलेशन) के उद्देश्य से प्रस्तुत करेगा। पूर्ववर्ती वर्ष की जानकारी अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर होगी और यदि पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखा उपलब्ध न हो तो जानकारी बिना अंकेक्षित लेखों के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

11.5 आयोग, उपरोक्त विनियम 11.1 और/या विनियम 11.2 के अधीन प्रस्तुत किसी आवेदन का पुनर्विलोकन उसी रीति से करेगा मानो वह ए.आर.आर. और ई.आर.सी. के अवधारण हेतु मूल आवेदन हो और ऐसा पुनर्विलोकन पूर्ण होने के पश्चात् या तो प्रस्तावित परिवर्तनों को ऐसे बदलावों के साथ जो आयोग उचित समझे, अनुमोदित करेगा या कारणों को अभिलिखित करते हुए निरस्त करेगा।

11.6 वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन का दायरा निर्धारित लक्ष्यों सहित ए.आर.आर. और ई.आर.सी. के अनुमोदित पूर्वानुमानों के साथ अनुज्ञप्तिधारी के कार्य प्रदर्शन की तुलना करने तक व्याप्त होगा। वार्षिक कार्य प्रदर्शन पुनर्विलोकन पूर्ण होने के पश्चात् आयोग निम्नलिखित को अभिलिखित करते हुए आदेश पारित करेगाः–

(a) अनुमोदित परिवर्तनों सहित यदि कोई हो तो, उस वित्तीय वर्ष के लिए ए. आर.आर. और ई.आर.सी. का अनुमोदित पूर्वानुमान।

(b) नियंत्रणहीन मदों में अनुज्ञप्तिधारी की अनुमोदित सकल लाभ या हानि और ऐसी प्राप्ति और हानियों को अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जैसा कि विनियम 5.9 एवं 5.10 में समाहित है।

(c) दक्षता से जुड़े नियंत्रणयोग्य मदों में अनुज्ञप्तिधारी की अनुमोदित सकल लाभ या हानि की भागीदारी विनियम 5.9 एवं 5.10 के प्रावधानों अनुसार होगी।

(d) पिछले वर्ष(ओं) के ए.आर.आर की मदों का वास्तविकीकरण यदि कोई हो।

(e) नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए पूर्वानुमान में संशोधन यदि कोई हो, का अनुमोदन।

12. नियंत्रण अवधि समाप्त होने पर समीक्षा

12.1 नियंत्रण अवधि की समाप्ति पर आयोग उद्देश्य की प्राप्ति एम.वाय.टी. सिद्धांतों की जो इन विनियमों में अंकित है की समीक्षा करेगा। अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त करने में लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति के अनुसार आयोग बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत को द्वितीय एवं बाद के नियंत्रण अवधि के लिए परिवर्तित कर सकता है।

12.2 प्रथम नियंत्रण अवधि की समाप्ति एवं द्वितीय नियंत्रण अवधि का आरंभ हो सकता है जैसा आयोग निश्चित करे। आयोग प्रदर्शन की विवेचना करेगा जो प्रथम नियंत्रण अवधि में दिये गये लक्ष्यों के संदर्भ में होगा तथा अगले नियंत्रण अवधि की आधार मूल्य निश्चय करेगा जो उसके द्वारा किए गए वास्तविक प्रदर्शन, वांछित सुधार तथा अन्य संबंधित तत्वों/कारकों के आधार पर होगा ।

13 वास्तविकीकरण

13.1 चालू वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन के साथ पूर्ववर्ती वर्ष की ए.आर.आर टैरिफ तथा प्रभारों से प्राप्त राजस्व का वास्तविकीकरण किया जायेगा।

13.2 वास्तविकीकरण का कार्य बिना अंकेक्षित लेखाओं/प्राविधिक लेखाओं के आधार पर किया जाएगा जो अंकेक्षित लेखाओं की प्राप्ति के बाद अंतिम वास्तविकीकरण के अंतर्गत होगा।

13.3 वास्तविकीकरण पर शुद्ध वित्तीय प्रभाव का आकलन नियमावली के विनियम 5.9–5. 10 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जिसमें प्राकृतिक आपदा, स्फीति आदि के कारकों को विचार में लेकर आयोग द्वारा किया जाएगा।

14. पूंजी लागत (केपिटल कास्ट)

14.1 परियोजना की पूँजी लागत में सम्मिलिति होंगेः–

(ए) जो व्यय किये गये या व्यय किया जाना बताये गये है जिसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज सम्मिलित है, वित्तीय प्रबंधन का प्रभार, विदेशी मुद्रा विनियम से होने वाले लाभ अथवा हानि जो निर्माण कार्य के लिए, लिये गए ऋणों से होने वाले निर्माण अवधि में हुए हो (i) लगाए गए फण्ड का 70 : हो जहाँ समता पूँजी 30 प्रतिशत या 30 प्रतिशत से अधिक लगाई गई है अतिशेष पूँजी को ऋण माना जाएगा अथवा (ii) जहॉ पर ऋण राशि वास्तविक राशि बराबर हो ऐसी दशा में वास्तविक समता पूँजी 30 प्रतिशत के बराबर होगी, जो परियोजना के व्यावसायिक संचालन के दिनांक पर होगी एवं आयोग के द्वारा सतर्क जाँच के पश्चात् स्वीकर की जावेगी।

(बी) विनियम की धारा 15 में विनिर्दिष्ट सीमा दरों के अधीन पूंजीकृत प्रारंभिक कल पुर्जे

(सी) अभिनिश्चित अतिरिक्त पूँजीगत व्यय जैसा कि विनियम 16 के अंतर्गत दिया गया है।

बशर्ते आस्तियाँ जो परियोजना का भाग है परंतु वह प्रयोग में नहीं है वह पूंजी लागत से बाहर मानी जाएगी।

14.2 आयोग के द्वारा सतर्क जाँच के पश्चात स्वीकार की गई पूँजी लागत टैरिफ विनिश्चय हेतु आधार होगी :–

परंतु थर्मल उत्पादन केंद्र और पारेषण तंत्र के संबंध में सतर्क जाँच के पश्चात पूंजी लागत आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित स्थिर सिद्धांतों (बेंच मार्क नार्म) के आधार पर ली जाएगी ।

आगे यह भी प्रावधानित है कि जहॉ पर स्थिर सिद्धांत स्पष्ट नहीं किए गए है वहॉ पर सतर्क जाँच में पूँजीगत व्यय की औचित्यपूर्ण छानबीन, वित्त योजना, निर्माण अवधि का ब्याज, दक्ष तकनीकों का प्रयोग, निरर्थक व्यय (ओव्हर रन कास्ट) एवं निरर्थक समय (टाइम ओव्हर रन) तथा अन्य मामलों जो आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु उचित समझा जाए सम्मिलित किए जाएंगे।

यह भी प्रावधानित है कि आयोग हायड्रो उत्पादन केंद्र के लागत पूंजी की भलीभांति जाँच (वेटिंग) के लिए स्वतंत्र निकाय या विशेषज्ञ हेतु निर्देशक सिद्धांत जारी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे निकाय या विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित लागत मान्य होगी जिसके आधार पर आयोग हायड्रो उत्पादन केंद्र के टैरिफ निर्धारण का विचार करेगा।

परन्तु, ऐसे प्रकरण में जहां किसी विकासकर्ता को किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए स्थल प्रदान किया जाता है, वहां परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्थल को आवंटित कराने में किया गया कोई व्यय अथवा किए जाने के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यय लागत मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परन्तु, यह भी कि ऐसे किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में लागत पूंजी हेतु निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा :–

(क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन के यथाअनुमोदित पैकेज के अनुरूप अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की लागत; और

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के निमित्त विकासकर्ता के 10 प्रतिशत अंशदान की परियोजना लागत :

परन्तु, यह भी कि जहां उत्पादन कंपनी और हितग्राहियों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध हुआ हो अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और हितग्राही के बीच पारेषण सेवा अनुबंध हुआ हो वहां यथास्थिति वास्तविक व्यय की सीमा निर्धारित होने पर, आयोग द्वारा अनुमत पूंजीगत व्यय शुल्क निर्धारण के लिए ऐसी सीमा को विचार में लिया जाएगा।

15. प्रारंभिक व्यय प्रारंभिक कलपुर्जे

निम्नलिखित मानदंडों के अधीन प्रारंभिक पुर्जों को मूल परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत किया जायेगा।

(i)	कोयला आधारित/लिगनाइट फायर्ड थर्मल उत्पादन केंद्र	2.5 %
(ii)	हायड्रो उत्पादन केंद्र	1.5%
(iii)	पारेषण एवं वितरण तंत्र	
	(क) पारेषण एवं वितरण लाईन	0.75%
	(ख) पारेषण एवं वितरण उप केंद्र	2.5 %
	(ग) श्रेणीकृत/समानान्तर क्षतिपूर्ति प्रणालियां (Series/Parallel Compensation devices) एवं एच.वी.डी.सी. केन्द्र	3.5 %

बशर्ते निर्धारित मापदण्ड प्रारंभिक व्यय हेतु विनियम 14 की कंडिका 14 (2) के प्रथम प्रावधान अधीन निर्धारित मापदंड के भाग के रूप में प्रकाशित किए गए हो। ऐसे मापदंडों को यहाँ दिए गए मापदण्डों से अलग माने जाएंगे।

16. अतिरिक्त पूंजीकरण

16.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद और कट–ऑफ दिनांक तक निम्नलिखित मदों के लिए कार्य की मूल सीमा में रहते हुए किया गया पूंजीगत व्यय या किए जाने के लिए अनुमानित व्यय आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन अनुमत किया जा सकेगा :

(i) अन–उनमोचित दायित्व;

(ii) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य;

(iii) विनियम 15 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मूल परियोजना लागत में शामिल प्रारंभिक पुर्जों की प्राप्ति;

(iv) किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन अथवा माध्यस्थम के पंचाट के अनुपालन का दायित्व; और

(v) विधि में कोई परिवर्तन;

परन्तु, कार्य के मूल स्वरूप में सम्मिलित कार्यों के विवरण, मय व्यय के अनुमानों, अनुउन्मोचित दायित्वों और निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यों के विवरण टैरिफ निर्धारण आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे ।

16.2 पूँजीगत व्यय जो निम्नानुसार किया गया है वह निर्धारित तिथि के बाद आयोग द्वारा सतर्क जाँच के पश्चात उसके विवेक पर मान्य किया जाएगा।

(i) पंचाट निर्णय के पालन हेतु देय उत्तर दायित्व अथवा न्यायालय के द्वारा आदेशित कोई भुगतान आदेश

(ii) कानूनों में परिवर्तन

(iii) ऐश पॉण्ड या ऐश निस्तारण तंत्र के अतिरिक्त निर्माण कार्य, जो कार्य के मूल भाग था।

(iv) हायड्रो उत्पादन केंद्रों के मामलों में ऐसा व्यय जो प्रकृतिक आपदा के नुकसान के कारण आवश्यक हो (लेकिन पावर हाऊस के कंपनी की गलती से पानी में डूब जाने का कारण न हो) किसी भौगोलिक कारणों से हुई क्षति को बीमा कंपनी से प्राप्त राशि को समयोजित करते हुए जो भी व्यय आवश्यक होने पर प्लांट के सफल एवं सक्षम संचालन हेतु किया जाय।

(v) पारेषण/वितरण तंत्र के मामलों में कोई अतिरिक्त व्यय जो संवहन, नियंत्रण एवं यंत्रीकरण, कम्प्यूटर तंत्र, पावर लाईन केरियर कम्युनिकेशन, डी.सी. बैटरी, फाल्ट स्तर बढ़ने के कारण स्विचयार्ड संयंत्रों में परिवर्तन, आपातकालीन तंत्र का पुनर्स्थापन, इन्स्यूलेटर क्लीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब यंत्रों को बदलना जो बीमीत (insured) न हो या अन्य कोई ऐसे व्यय जो पारेषण/वितरण तंत्र के सफल सक्षम संचालन के लिए आवश्यक हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (iv) एवं (v) के अनुसार कोई व्यय जो छोटी सामग्रियाँ प्राप्त करने हेतु या परिसंपत्तियाँ जैसे औजार एवं संयंत्र, उपस्कर, एयर कंडीशन वोल्टेज स्टेपलाईजर रेफ्रिजरेटर, कूलर पंखे, धुलाई मशीन, हीट कन्वटर, दरी कालीन आदि जो कट आफडेट के बाद खरीदने हेतु व्यय किए गए है वह वित्तीय वर्ष 2010–11 से लागू टैरिफ निर्धारण हेतु अतिरिक्त पूँजी नहीं माने जाएंगे।

17. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण

17.1 उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी राज्य पारेषण इकाई या वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा भी प्रकरण हो नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण जो कि उत्पादन केंद्र की उपयोगिता के पश्चात उसका जीवन बढ़ाने के लिए हो, या उसकी किसी इकाई या पारेषण तंत्र या वितरण तंत्र के लिए हो आयोग के समक्ष विस्तृत परियोजना विवरण पूर्ण उद्देश्य, औचित्यता मूल्य लाभ विवरण संदर्भ दिनांक से बढ़ी हुए समयावधि आर्थिक प्रस्ताव व्यय का क्रमशः विवरण पूर्णता का कार्यक्रम अवधि मूल्य स्तर संदर्भ अनुमानित पूर्णता व्यय जिसमें विदेशी मुद्रा का भाग भी समाहित हो यदि कोई हो लाभार्थियों से विचार विमर्श के ब्यौरे एवं अन्य विवरण जो उत्पादन कंपनी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्ति द्वारा उचित समझे जांच रखे जाएगे।

बशर्ते कि कोयला आधारित/थर्मल उत्पादन केंद्र या उत्पादन कंपनी अपने विवेक पर विनियम 17 (4) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विशेष सुविधा (स्पेशल अलाउंस) का उपभोग करते हुए ऐसे व्यय की आवश्यकता को क्षतिपूर्ति (कंपर्सेशन) के रूप में स्वीकार करे जिसमें नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण जो उत्पादन कंपनी या उसकी इकाई के उपयोगी जीवन के बाद का हो, ऐसी परिस्थिति में पूँजी लागत के संशोधन के रूप में स्वीकार नहीं होगा एवं संचालन सिद्धांतों में कोई ढील नहीं दी जाएगी परंतु विशेष सुविधा को वार्षिक निश्चित मूल्य में जोड़ा जा सकेगा।

बशर्ते यह भी उत्पादन कंपनी या उसकी इकाई जो इन विनियमों से प्रारंभ होने के पूर्व नवीनीकरण या आधुनिकीकरण किया जा चुका है और आयोग के द्वारा व्यय की स्वीकृति दे दी गई है, या ऐसी उत्पादन इकाई या केंद्र जो शक्ति क्षरण स्थिति में है, या छूट पर आधारित है संचालन या निष्पादन सिद्धांतों पर चल रहे है, उनको यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

17.2 जहाँ पर उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा भी हो यदि वह नवीनीकरण या आधुनिकीकरण हेतु अपने प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तब मूल्य अनुमान, वित्तीय योजना, पूर्णता की समयावधि, निर्माण अवधि का ब्याज, दक्ष तकनीक का प्रयोग मूल्य लाभ की विवेचना एवं अन्य तथ्य जो उचित व संबद्ध हो पर विचार कर आयोग द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा।

17.3 कोई भी व्यय जो किया गया है या किया जाना बताया गया है तथा आयोग द्वारा ऐसे नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण जो परियोजना की जीवन अवधि बढ़ाने हेतु है, के प्राक्कलन की सतर्क जांच के पश्चात स्वीकृति दी गई है उसमें संचित मूल्य क्षरण (डीप्रिसिएशन) को परियोजना की मूल लागत में जो वसूल किया जा चुका है को घटाकर टैरिफ निर्धारण का आधार मान लिया जाएगा।

17.4 कोयला आधारित थर्मल उत्पादक कंपनी जब वह विनियम के 17.1 के प्रथम प्रावधान के अनुसार विकल्प चयन करती है तो उसको विशेष छूट वर्ष 2010–11 में रू. 5.286 लाख/मेगावाट वार्षिक दर से और उसके पश्चात के वर्षों में कंट्रोल पीरिएड में 5.72 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ोत्तरी, उसी दिनांक से जब उत्पादन केंद्र की वह उत्पादन इकाई अपनी व्यावसायिक संचालन में संदर्भ में उपयोगी जीवन पूर्णकर चुकी हो, की जाएगी।

बशर्ते व्यावसायिक संचालन के मामले में वह इकाई अपने 25 वर्ष दिनांक 01/04/2010 को पूरी कर चुकी हो तथा यह छूट वर्ष 2010–11 से उसे देय होगी।

18. **अनिश्चित विद्युत का विक्रय** – अनिश्चय विद्युत का विक्रय अनिर्धारित अदला–बदली (यूआई) के रूप में किया जाएगा और इसका भुगतान क्षेत्रीय अथवा राज्य के यू.आई पूल से प्रचलित फ्रीक्वेंसी लिंक्ड यू.आई दर से किया जाएगा।

बशर्ते किसी उत्पादन कंपनी द्वारा अनिश्चित विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व, ईधन के मूल्य को लेखांकित कर, पूँजीगत लागत से कम करने हेतु होगा।

19. **ऋण पूँजी अनुपात**

19.1 01/04/2010 को या उसके पश्चात जो परियोजना व्यावसायिक संचालन के लिए घोषित की गई है जहॉ पर समता पूँजी 30 प्रतिशत से अधिक लगाई गई है वहॉ 30 प्रतिशत से अधिक की समता पूँजी को मानदंडीय ऋण माना जाएगा।

बशर्ते जहॉ पर समता पूँजीगत मूल्य से 30 प्रतिशत से वास्तविक रूप से बराबर या कम लगाई गई हो वहॉ पर वास्तविक समता पूँजी को टैरिफ निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा।

बशर्ते जहॉ पर समता पूँजी विदेशी मुद्रा में लगाई गई है वहॉ उसका भारतीय मुद्रा में परिवर्तित मूल्य लगाई गई दिनांक से परिवर्तनीय दरों पर होगा।

उदाहरणः– यदि उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा भी हो के द्वारा कोई अतिरिक्त राशि पूँजी अंश और उसके आंतरिक स्त्रोतों में लगाने के लिए जो उसके फ्रीरिजर्व में से उत्पन्न किए जाते है और वह परियोजना निधि हेतु हो उनका भुगतान की गई पूँजी समतापूँजी की लाभ हेतु गणना में लिया जाएगा बशर्ते ऐसी अतिरिक्त राशि और आंतरिक स्त्रोतों का प्रयोग उत्पादन कंपनी पारेषण कंपनी या वितरण कंपनी के पूँजीगत खर्चो हेतु किया गया हो।

19.2 01/04/2010 के पूर्व जिन उत्पादन केंद्रों पारेषण तंत्र को व्यावसायिक संचालन हेतु घोषित किया गया हो उनमें ऋण पूँजी का अनुपात आयोग द्वारा 31/03/2010 को समाप्त समयावधि के टैरिफ निर्धारण हेतु मान्य किया जाएगा।

19.3 कोई भी व्यय जो 01/04/2010 को या उसके पश्चात किया गया हो या प्रस्तावित हो आयोग के द्वारा अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के रूप में टैरिफ निर्धारण हेतु माना जाएगा तथा नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय जो जीवन बढ़ाने हेतु हो उसे विनियम 19.1 में दी गई विधि से बाँटा जाएगा।

19.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामलों में परियोजना की लागत पूँजी और ऋण का अनुपात की गणना संपूर्ण पारेषण तंत्र एवं वितरण तंत्र की प्रणाली को विचार में लेकर अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक लाईन अथवा परियोजना पर आधारित की जाएगी, किसी विशेष लाईन या परियोजना पर आधारित नहीं होगी।

———————

अध्याय – 3
उत्पादन केंद्रों एवं पारेषण तंत्र के लिए टैरिफ की गणना

20. टैरिफ के घटक

20.1 थर्मल उत्पादन केंद्र से विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ के निर्धारण हेतु दो भाग होंगे क्षमता प्रभार (वार्षिक निश्चित मूल्य की वसूली विनियम 21 में वर्णित घटकों के अनुसार) एवं ऊर्जा प्रभार (प्रारंभिक ईधन के मूल्य की वसूली)

20.2 हायड्रो उत्पादन केंद्र के विद्युत प्रदाय के लिए टैरिफ में क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार दो घटक होंगे जिनको विनियम 29 में वर्णित ढंग से वार्षिक निर्धारित मूल्य वसूली हेतु दो प्रभारों के अनुसार लिए जाँएगे (विनियिम 21 में दिए गए घटकों के योग से)

20.3 राज्यांतरिक ऊर्जा पारेषण तंत्र के लिए टैरिफ में पारेषण प्रभार वार्षिक निर्धारित मूल्य हेतु विनियम 21 में वर्णित घटकों के योग से होगा।

21. वार्षिक निर्धारित मूल्य

वार्षिक निश्चित मूल्य (ए.एफ.सी) एक उत्पादन केंद्र अथवा पारेषण तंत्र की निम्नलिखित घटकों को समाहित करेगा :–

(ए) समता पूंजी पर प्रतिफल

(बी) ऋणपूँजी पर ब्याज

(सी) मूल्यह्रास/अवमूल्यन

(डी) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

(इ) संचालन और संधारण व्यय

(एफ) द्वितीयक ईधन तेल की कीमत (कोयला आधारित उत्पादन केंद्रों के लिए)

(जी) आर एंड एम के स्थान पर अन्य छूट अथवा जहाँ पर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति छूट देय हो।

टीप : ए.एफ.सी. निकालते समयविनियम 65 के अनुसार टैरिफ के अतिरिक्त आय की राशि को (ए) से (जी) के योग से घटाई जावेगी।

22. समपूँजी पर प्रतिलाभ (Return on equity)

22.1 समपूँजी पर प्रतिलाभ की गणना विनियम 19 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूपयों में समपूँजी पर परिगणित की जाएगी।

22.2 समपूँजी पर प्रतिलाभ इस विनियम के अनुच्छेद 22(3) के अनुसार प्री–टैक्स आधार पर परिगणित किया जाएगा जो आधार दर अधिकतम 15.5 प्रतिशत सकल रूप में होगी।

बशर्ते कि परियोजना की स्थापना 01/04/2010 को या उसके पूर्व हुई हो तो अतिरिक्त लाभ 0.5 प्रतिशत ऐसी परियोजना को भी देय होगा, यदि परियोजना परिशिष्ट 1 के अनुसार दिए गए समय सीमा में पूर्ण हुई हो।

यह कि चाहे जिस किसी भी कारण से यदि परियोजना निश्चित समयावधि में नहीं पूरी हुई तो अतिरिक्त लाभांश 0.5 प्रतिशत देय नहीं होगा।

22.3 समपूँजी पर लाभांश संबंधित उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या एस.टी.यू को संबंधित वर्ष के साधारण टैक्स दर को आधार दर के अनुसार सरलीकरण कर गणना किया जाएगा।

यह कि समपूँजी पर लाभांश वास्तविक टैक्स दर जो उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी राज्य पारेषण तंत्र को लागू हो एवं संबंधित वर्ष संबंधित वित्त कानूनों के प्रावधानों, जो टैरिफ समयावधि के है अलग से प्रत्येक वर्ष हेतु अलग–अलग शुद्ध किया जाएगा साथ ही अगली टैरिफ अवधि हेतु टैरिफ याचिका प्रस्तुतिकरण की जाएगी।

22.4 समपूँजी पर लाभ तीन दशमलव बिन्दुओं तक राउन्ड ऑफ किया जाएगा और निम्नलिखित विधि से परिगणित किया जाएगा।

समपूँजी पर प्री टैक्स लाभांश की दर = आधार दर / (1–टी)

यह टी यहाँ पर इस विनियम के विनियम 22(3) के अनुसार टैक्सदर की मानक है।

व्याख्या (i) यदि उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (एम.ए.टी.) जिसमें उपकर व प्रभार 11.33 प्रतिशत की दर सहित भुगतान करता है तब समपूँजी लाभांश = 15.5/(1-0.1133) = 17.481 % होगा।

(ii) यदि उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी साधारण निर्गमित कर 33.99% दर से प्रभार व उपकर सहित चुकता करता है तब समपूँजी पर लाभांश = 15.5/(1.0.3399) = 23.481% होगा।

23. ऋणपूँजी पर ब्याज

23.1 विनियम 19 में वर्णित विधि के अनुसार निर्धारित ऋण को ही सकल मानदंडीय ऋण मानकर ही ऋण पर ब्याज की गणना की जाएगी।

23.2 01.04.2010 की स्थिति में बकाया मानदंडीय ऋण निकालने के लिए सकल मानदंडीय ऋण में से आयोग द्वारा अनुमत दिनांक 31.03.2010 तक के आवर्ती पुनर्भुगतान को घटा दिया जाएगा । 23.3 टैरिफ अवधि के वर्ष के लिए पुनर्भुगतान, वर्ष के लिए अनुमोदित मूल्यह्रास जो अनुमत है, के बराबर माना जाएगा।

23.4 कुछ भी होते हुए, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी / एस.टी.यू. द्वारा यथास्थिति ली गई ऋण स्थगत अवधि के होते हुए भी ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से विचार में लिया जाएगा और वह अनुमत वार्षिक अवमूल्यन के समतुल्य होगा ।

23.5 ब्याज की दर, परियोजना के लिए प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर परिगणित भारांकित औसत ब्याज दर होगी;

परन्तु, जहां किसी विशिष्ट वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं लिया गया है तथापि मानदंडीय ऋण फिर भी बकाया हो, वहां अंतिम उपलब्ध भारांकित औसत ब्याज दर विचार में ली जाएगी;

परन्तु, यह और भी कि जहां यथास्थिति, उत्पादन केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी के पास वास्तविक ऋण नहीं है वहां ऐसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी की भारांकित औसत ब्याज दर समग्र रूप से विचारणीय होगी;

23.6 ऋण पर ब्याज की गणना करने के लिए उस वर्ष के मानदंडीय औसत ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर लागू की जाएगी ।

23.7 उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति ऋणों की अदला–बदली के तब तक सभी प्रयास करेगी, जब तक इसके कारण से ब्याज पर शुद्ध बचत हो और उस स्थिति में ऐसे पुनःवित्तीकरण से जुड़ी हुई समस्त लागतें हितग्राहियों द्वारा वहन की जायेंगी और शुद्ध बचत हितग्राहियों तथा उत्पादन कम्पनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच, यथास्थिति 50:50 के अनुपात में बांटी जायेगी।

23.8 ऋण को शर्तों या अवधि में परिवर्तन इस प्रकार के पुनः वित्त प्रबंधन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

23.9 विवाद की स्थिति में कोई भी पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम 2009 जो समय–समय पर संशोधन अधीन है एवं अन्य अंतर्गत स्थापित कानूनों के अंतर्गत एक आवेदन, विवाद समापन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

बशर्ते लाभार्थी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ब्याज के पक्ष में किए जाने वाले भुगतान नहीं रोकेगा जो उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विवाद के चलते ऋणों के पुनः वित्त प्रबंधन से संबंधित हो।

24. मूल्य ह्रास

24.1 मूल्यह्रास के लिए आधार मूल्य आयोग द्वारा परिसंपति के मान्य पूँजीगत मूल्य के आधार पर निर्धारित होगा।

24.2 आस्तियों का अवशेष मूल्य 10 प्रतिशत मान्य किया जाएगा और आस्ति के पूँजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक मूल्यह्रास स्वीकृत किया जाएगा।

बशर्ते कि हायड्रो उत्पादन केंद्रों का अवशेष मूल्य वह होगा जो राज्य शासन व डेव्हलपर द्वारा साइट निर्माण के संबंध में किए गए अनुबंध में उल्लेख किया गया है।

बशर्ते कि हायड्रो उत्पादन केंद्र की परिसंपत्तियों के पूँजीगत मूल्य में मूल्यह्रास की गणना करने हेतु अवशेष मूल्य वह होगा जो निर्धारित टैरिफ पर लंबी अवधि के क्रय अनुबंध पर बेची गई मूल्य की विद्युत का प्रतिशत होगा।

24.3 पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त भूमि तथा हायड्रो उत्पादन केंद्र बनाने के लिए रिजर्वायर की भूमि मूल्यह्रास की सीमा में नहीं आएगी और इसका मूल्य पूँजीगत मूल्य से हटाया जाएगा जब आस्ति के मूल्यह्रास की गणना की जाएगी।

24.4 मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति से इस विनियम के परिशिष्ट – ॥ में दिए गए दरों पर उत्पादन केंद्रों एवं पारेषण तंत्र की आस्तियों के ऊपर लागू होगा।

बशर्ते 31 मार्च को समाप्त वर्ष पर शेष मूल्यह्रास कीमत व्यावसायिक संचालन में 12 वर्षो के पश्चात् आस्ति के शेष उपयोगी जीवन अवधि से आच्छादित होगा।

24.5 मौजूदा परियोजनाओं के मामलों में शेष मूल्यह्रास कीमत जो 01/04/2010 को होगी, की गणना आयोग द्वारा 31.03.2010 तक स्वीकृत आवर्ति मूल्यह्रास को सकल मूल्यह्रास से घटाकर आस्ति की सकल कीमत निकाली जाएगी।

24.6 मूल्यह्रास व्यावसायिक संचालन में प्रथम वर्ष से प्रभारित किया जाएगा। यदि किसी आस्ति का व्यावसायिक संचालन वर्ष के किसी भाग में हुआ है तब उसे यथानुपात में ही मूल्यह्रास दिया जाएगा।

25. कार्यशील पूँजी पर ब्याज

25.1 कार्यशील पूँजी में समाहित होंगे–

(ए) कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केंद्रों के मामलों में

(i) खदान के पास उत्पादन केंद्रों के लिए 1) माह के मूल्य के बराबर तथा खदान से दूर के उत्पादन केंद्रों के लिए 2 माह के कोयले का मूल्य जो लागू हो उत्पादन हेतु जो वार्षिक उपलब्ध क्षमता के आदर्श अनुपात के बराबर हो।

(ii) गौण ईधन तेल उत्पादन के दो माहों के मूल्य के समतुल्य जो संयत्र के पास वार्षिक उपलब्ध मात्रा एवं एक से अधिक गौण ईधन के प्रयोग के लिए ईधन तेल के प्रमुख द्वितीय भंडार के मूल्य के बराबर होगी।

(iii) विनियम 26 के अनुसार संचालन एवं संधारण व्यय का 20 प्रतिशत कलपुर्जे संधारण हेतु होगा।

(iv) दो माह की प्राप्तियों के बराबर क्षमता प्रभार एवं वार्षिक संयंत्र उपलब्धता के साधारण रूप में परिगणित विद्युत विक्रय राशि के बराबर ऊर्जा प्रभार और

(v) संचालन–संधारण का एक माह का व्यय

(बी) हायड्रो उत्पादन केंद्र,पारेषण तंत्र एवं वितरण तंत्र के लिए

(i) दो माह की निश्चित मूल्य(स्थिर प्रभार) के बराबर प्राप्तियाँ

(ii) विनियम 26 में दिए गए अनुसार संचालन एंव संधारण व्यय का 15 प्रतिशत कलपुर्जे संधारण हेतु

(iii) संचालन और संधारण के एक माह के व्यय के लिए

25.2 इस विनियम के अनुच्छेद 25.1 के उप पैरा (ए) के अनुसार ईधन का मूल्य समाहित है वह राशि ईधन प्राप्त करने हेतु होगी इसमें साधारण रूप से पारगमन एवं हैंडलिंग से हुए नुकसान जो उत्पादन कंपनी को हुआ और सकल कैलोरिफिक मूल्य जो तीन माह के वास्तविक प्राप्त आकड़ों पर आधारित हो को तीन माहों के लिए जिसका टैरिफ निर्धारण किया जाना हो और ईधन मूल्य में वृद्धि का अंतर टैरिफ अवधि के अंदर भुगतान नहीं किया जाएगा।

25.3 कार्यशील पूँजी पर ब्याज साधारणतया भारतीय स्टेट बैंक के लघुकालीन ऋणों पर लागू हो उनके बराबर होगा, जिस अवधि में उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई या पारेषण तंत्र जैसा भी हो उसे व्यावसायिक संचालन हेतु घोषित किया हो।

25.4 कार्यशील पूँजी पर साधारणतया ब्याज इस आधार पर देय होगा चाहे उत्पादन कंपनी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने कार्यशील पूँजी हेतु किसी बाहरी संस्था से ऋण नहीं लिया हो।

26. संचालन एवं संधारण ब्यय

26(ए) उत्पादन केंद्र के संचालन एवं संधारण के व्यय

(1) संचालन संधारण व्यय से तात्पर्य निम्नलिखित मदों के अधीन होने वाले सभी खर्चो के योग से होगा।

(a) कर्मचारी लागत

(b) सुधार एवं संधारण व्यय (आर एंड एम)

(c) प्रशासन एवं सामान्य लागत (ए एंड जी)

(2) उत्पादन कंपनी अपने प्रतिवेदन में उपरोक्त मदों पर संचालन एवं संधारण व्यय अलग–अलग प्रस्तुत करेंगे जो उनके उपलब्ध लेखापरीक्षा की लेखा या बिना परीक्षित लेखा के आधार पर पिछले पाँच वर्षो के हो, जिसमें आधार वर्ष सम्मिलित होगा। संचालन एवं संधारण व्यय जो आधार वर्ष के हो का प्रयोग नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष का व्यय दिखाने हेतु प्रयोग होंगे।

(3) 01.04.2005 के बाद व्यावसायिक संचालन में आये हुए केंद्रों एवं इकाइयों के संचालन संधारण व्यय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की अवधि व शर्तें) विनियम 2009 समय–समय पर संशोधित शर्तों के अनुसार होंगे।

(बी) पारेषण यूनिटों हेतु मानक संचालन एवं संधारण व्यय

(i) संचालन एवं संधारण व्यय के मानक इस प्रकार होंगे–

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–2014
उपकेंद्रो के मानक (प्रत्येक बे (bay) पर लाख रू. में)				
765 के.व्ही	77.56	81.89	86.68	91.64
400 के.व्ही	55.40	58.57	69.92	65.46
220 के.व्ही	38.78	41.00	43.34	45.82
132 के.व्ही	27.70	29.28	30.96	32.73

66 के.व्ही	19.39	20.50	21.67	22.91
33 के.व्ही	13.57	14.35	15.17	16.04
11 के.व्ही	9.50	10.04	10.62	11.23
ए.सी.एवं एच.वी.डी.सी. लाइने (लाख रू. में) प्रतिकिलोमीटर				
सिंगल सरकिट (4 या अधिक सब कंडक्टर के साथ बण्डल में)	0.568	0.600	0.635	0.671
सिंगल सरकिट (दोहरे या तिहरे कंडक्टर के साथ)	0.378	0.400	0.423	0.447
सिंगल सरकिट, (सिंगल कंडक्टर)	0.189	0.200	0.212	0.224
डबल सरकिट (बण्डल कंडक्टर 4 या अधिक उप कंडक्टर सहित)	0.994	1.051	1.111	1.174
डबल सरकिट (दोहरे या तिहरे कंडक्टर के साथ)	0.663	0.701	0.741	0.783
डबल सरकिट (सिंगल कंडक्टर)	0.284	0.301	0.318	0.336
एच.वी.डी.सी.केंद्रो के मानक				
एच.वी.डी.सी. बैक टू बैक स्टेशन (लाख रू. में प्रति 500 मेगावाट)	468	495	523	553

(ii) पारेषण तंत्र के लिए कुल मान्य संचालन संधारण व्यय की गणना बे **(bay)** की संख्या और लाइनों की कि.मी. में लंबाई के गुणनफल के आधार पर निकाली जाएगी।

27. **कोयला आधारित उत्पादन केंद्रों के द्वितीयक** ईंधन **तेल की खपत पर व्यय**

27.1 द्वितीयक ईंधन तेल के व्यय की गणना रूपयों में संगणित की जाएगी जो विनियम 33.3 में दिए गए आदर्श द्वितीय ईधन तेल खपत (एस.एफ.सी) के आधार पर निम्नलिखित विधि से की जाएगी :–

= एस.एफ.सी x एल.पी.एस.एफi x एन.ए.पी.ए.एफ x 24 x एन.डी.वाई x आई. सी x 10

जहाँ : एस एफ सी – मानदण्डीय विशिष्ठ ईधन तेल की खपत एमएल/कि. वॉट घण्टे

एल पी एस एफ – द्वितीयक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य रूपये प्रति मिलीलीटर में प्रारंभिक रूप से विचार में लिया गया

एन ए पी ए एफ – मनदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्रतिशत में

एन डी वाई – वर्ष के दिवसों की संख्या

आई सी – स्थापित क्षमता मेगावॉट में

27.2 द्वितीय ईंधन तेल को उतरने के पश्चात् कीमत जो प्रारंभिक रूप से उत्पादन कंपनी द्वारा व्यय की गई है उसे वास्तविक भारित औसत मूल्य जो पिछले तीन माहों के हो के अनुसार आधार के रूप में लिया जायेगा और उतरने पश्चात् तीन माहों के मूल्य के अप्राप्त होने पर वर्ष के शुरू होने के पूर्व ताजी खरीदी मूल्य जो उत्पादन कंपनी ने व्यय किया है।

द्वितीय ईंधन तेल की कीमत पर व्यय प्रत्येक टैरिफ अवधि के वर्षान्त पर ईंधन मूल्य के समायोजन के अधीन होगा जिसकी विधि निम्नानुसार हैः–

एस.एफ.सी. x एन.ए.पी.ए.एफ x 24 x एन.डी.वाई x आई. सी x 10 (एल.पी.एस.एफy - एल.पी.एस.एफi)

जहाँ –

एल.पी.एस.एफy = वर्ष के लिए द्वितीयक ईंधन तेल की उतरी गई औसत भारांकित कीमत रूपयों/मिली लीटर में होगा

28. थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए क्षमता प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की गणना एवं उनका भुगतान

28.1 इन विनियमों के अंतर्गत निर्देशित मानक एवं शिथिलीकृत मानक अनुसार थर्मल उत्पादन केंद्रों की निश्चित कीमत (fixed cost) की गणना वार्षिक रूप से की जाएगी एवं उसकी वसूली प्रत्येक माह क्षमता प्रभार के अंतर्गत की जाएगी। उत्पादन केंद्र द्वारा देय संपूर्ण क्षमता प्रभार उसके लाभार्थियों द्वारा उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी/उत्पादन केंद्र की क्षमता प्रदर्शन के बंटवारे के अनुसर वहन किया जाएगा।

28.2 क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन सहित) जो एक थर्मल उत्पादन केंद्र को एक कैलेंडर माह में दिया जाना है उसकी गणना निम्नांकित तरीके से की जाएगी।

(अ) व्यावसायिक संचालन में जो उत्पादन केंद्र वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को 10 वर्षो से कम का हो;

ए.एफ.सी. x (एन.डी.एम/एन.डी.वाई) x (0.5 + 0.5 x पी.ए.एफ.एम./एन.ए.पी.ए.एफ.) (रूपयों में)

तथापि संयंत्र द्वारा उपलब्धता मानक (पी.ए.एफ.वाई) वित्तीय वर्ष में 70% से कम प्राप्त हो (पी.ए.एफ.वाई) तब संपूर्ण क्षमता प्रभार इस वर्ष के लिए;

ए.एफ.सी. x (0.5 + 35/एन.ए.पी.ए.एफ) x (पी.ए.एफ.वाई./70(रूपयों में)

के अनुसार सीमित होंगे।

(ब) वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को 10 वर्ष या उससे अधिक से वाणिज्यिक संचालन में प्रयुक्त उत्पादन उत्पादन केंद्र :

ए.एफ.सी. x (एन.डी.एम/एन.डी.वाई) x (पी.ए.एफ.एम./एन.ए.पी.ए.एफ.) (रूपयों में);

जहाँ

ए.एफ.सी. (AFC) = उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, रूपयों में

एन.ए.पी.ए.एफ.(NAPA F) = मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

एन.डी.एम.(NDM) = माह में दिवसों की संख्या

एन.डी.वाई(NDY) = वर्ष में दिवसों की संख्या

पीएएफएम(PAFM) = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

पीएएफवाई(PAFY) = वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

28.3 माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक और वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसरण में की जाएगी :—

$$\text{PAFM or PAFY} = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DC\,i / \{N \times IC \times (100 - AUX)\}\%$$

जहाँ, AUX= से तात्पर्य है, मानकीकृत सहायक उपभोग, जो सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हो, और

DCi= से तात्पर्य है, उस अवधि के **i** वें दिन के लिए (मेगावाट में) औसत घोषित क्षमता (एक्सबस मेगावाट में) अर्थात यथास्थिति, वह माह अथवा वर्ष, जिसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिन के पूरा होने के पश्चात् प्रमाणित किया जाए ।

IC= से तात्पर्य है, उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N= से तात्पर्य है, उस अवधि अर्थात यथास्थिति माह अथवा वर्ष के दौरान दिनों की संख्या।

∑- से तात्पर्य है, $i = 1$ से N

टीप — डी.सी.आई. और आई.सी. में ऐसी उत्पादन इकाइयों की क्षमता सम्मिलित नहीं रहेगी, जिन्हें वाणिज्यिक संचालन में घोषित नहीं किया गया है। संबंधित अवधि में जहां आई.सी. में कोई परिवर्तन होता है वहां इसका औसत मूल्य लिया जाएगा ।

28.4 जहाँ किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ईंधन की कमी हो जाती है वहां उत्पादन कंपनी अधिकतम मांग के घंटों के दौरान उच्चतर मेगावाट का प्रदाय प्रस्तावित कर सकती है, जिससे ऑफ पीक घण्टों के दौरान ईंधन की बचत हो सके। उस स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र के लिए, हितग्राहियों के परामर्श से एक व्यावहारिक दिवस पूर्व अनुसूची विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे इसकी मेगावाट और विद्युत क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके । ऐसी स्थिति में औसत घोषित क्षमता को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उस दिन के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूची में अधिकतम पीक अवर एक्स पॉवर प्लाण्ट मेगावाट के समतुल्य लिया जाएगा।

28.5 ऊर्जा प्रभार में प्रारंभिक ईंधन का मूल्य सम्मिलित होगा और उसका भुगतान सभी लाभार्थियों द्वारा किया जाए हितग्राहियों को पूरे कैलेंडर माह में निर्धरित ऊर्जा प्रभार की दरों पर (ईंधन के मूल्य के समायोजन सहित) होगी। उत्पादन कंपनी को भुगतान किए जाने वाले एक माह के संपूर्ण ऊर्जा प्रभार इस प्रकार होंगे।

{(ऊर्जा प्रभार दर रू. में/kWh) x शेड्यूल ऊर्जा (एक्स बस) उस माह के लिए kWh में}

ऊर्जा प्रभार दर (ई.सी.आर.) रूपयों में प्रति किलोवॉट ऊर्जा केंद्र के आधार पर दशमलव के तीन बिंदु तक निम्नलिखित विधि से तय किया जाएगा; जो कोयला आधारित केंद्र के लिए होगा।

ई.सी.आर = {(जी.एच.आर – एस.एफ.सी x सी.वी.एस.एफ) x एल.पी.पी.एफ/सी.वी.} x 100/(100 – ए.यू.एक्स)

जहाँ

ए.यू.एक्स	–	मानदंडीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में
सी.व्ही.पी.एफ	–	जलाए गए प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर, यथाप्रयोज्य
सी.वी.एस.एफ	–	द्वितियक ईंधन का कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में
ई.सी.आर	–	ऊर्जा प्रभार दर, प्रति बाहर भेजी गई किलोवाट अव्हर प्रति रूपयों में
जी.एच.आर.	–	सकल केन्द्र ऊष्मा दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट अव्हर में
एल.पी.पी.एफ	–	प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, उस माह क दौरान प्रति किलोग्राम, यथाप्रयोज्य प्रति लीटर या प्रति मानक घनमीटर, रूपयों में
एस.एफ.सी	–	विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट अव्हर में

28.6 उतारे गए ईंधन का मूल्य उस माह के लिए, ईंधन की ग्रेड श्रेणी के अनुसार होगा तथा उस मूल्य में स्वत्व शुल्क, कर एवं अन्य शुल्क जो देय हो, रेल, सड़क या अन्य साधन से लाए गए साधनों का किराया सम्मिलित होगा। ऊर्जा प्रभार की गणना करने के उद्देश्य से कोयले के मामले में साधारणतया लाने ले जाने एवं उठाने रखने में हुए नुकसान को प्रदाता कंपनी द्वारा उस माह में भेजे गए कोयले/लिगनाइट के भार के प्रतिशत के रूप में जोड़कर निम्नानुसार किया जाएगा।

(ए) खान के पास से जुड़े होने पर 0.3 प्रतिशत

(बी) खान के पास स्थिति नहीं है वह केंद्र 0.8 प्रतिशत

	थर्मल पॉवर स्टेशन	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13
(सी)	कोरबा पूर्व टी.पी. एस कॉम्प्लेक्स	1.25%	1.20%	1.15%
(डी)	डी एस.पी.एम थर्मल पावर स्टेशन	0.80%	0.75%	0.70%

29. हायड्रो उत्पादन केंद्रों के क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की गणना और उसका भुगतान

29.1 इन विनियमों के अनुसार दिए गए सिद्धांतों के आधार पर हायड्रो उत्पादन केंद्र की निश्चित मूल्य की गणना वार्षिक रूप से की जाएगी, और क्षमता प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार (प्रोत्साहन सहित) मासिक रूप से वसूली की जाएगी तथा विभिन्न वर्गीकृत लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए जायेगें और उत्पादन केंद्रों के विक्रय क्षमता के अनुसार में होंगे जो कि गृह राज्य को मुक्त ऊर्जा (फ्री पावर) को छोड़कर होगी।

बशर्ते कि उत्पादन केंद्र के व्यावसायिक संचालन और उत्पादन कंपनी के प्रथम इकाई का व्यावसायिक संचालन के दिनांक की अवधि का वास्तविक निर्धारित मूल्य प्रावैधानिक रूप से उत्पादन केंद्र के पूर्णता पर आधारित नवीनतम प्राक्कलन पर गणना किया जाएगा और तदनुसार क्षमता प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार इस अवधि के निर्धारित होंगे।

29.2 क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन सहित) जो एक हायड्रो उत्पादन केंद्रों को कैलेंडर माह में देय होंगे वह–

ए.एफ.सी x 0.5 x एन.डी.एम./एन.डी.वाई x (पी.ए.एफ.एम./एन.ए.पी.ए.एफ) रूपयों में

जैसे –

ए.एफ.सी – वार्षिक निश्चित मूल्य जो एक वर्ष के लिए है रूपयों में

एन.ए.पी.ए.एफ – प्लांट की आदर्श उपलब्धता घटक प्रतिशत में

एन.डी.एम – माह के दिनों की संख्या

एन.डी.वाई – वर्ष के दिनों की संख्या

पी.ए.एफ.एम – माह में प्लांट के उपलब्धता घटक प्रतिशत में

29.3 पी.ए.एफ.एम. की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगी :–

$$\text{पी.ए.एफ.एम.} = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DCi/\{N \times IC \times (100-AUX)\}\%$$

जहाँ ए.यू.एक्स – मानकीकृत सहायक ऊर्जा उपभोग प्रतिशत में

डी.सी $_i$ – घोषित क्षमता (एक्स बस मेगावॉट में) माह के प्रथम दिन जिसके केंद्र तीन घंटों के लिए दे सकता हो, जैसाकि नोडल भार प्रेषण केंद्र के द्वारा दिन के समाप्त होने तक प्रमाणित किया जाय।

आई.सी – लगाई गई क्षमता (मेगावाट में) संपूर्ण उत्पादन केंद्र हेतु

एन – माह के दिनों की संख्या

29.4 प्रत्येक हितग्राही द्वारा ऊर्जा प्रभार भुगतान किए जाएंगे जो किसी पावर प्लांट के आधार पर किसी माह विशेष के संपूर्ण ऊर्जा जो हितग्राहियों को उपलब्ध करायी जाना है, फ्री ऊर्जा छोड़कर यदि कोई हो, को ऊर्जा प्रभार दर पर संगठित की जाएगी। इस प्रकार जो ऊर्जा प्रभार उत्पादन कंपनी को भुगतान किए जाए में वह इस प्रकार होगे–

(ऊर्जा प्रभार दर रूपयों में/किलोवाट घण्टे) x {निर्धारित (शेड्यूल) ऊर्जा (एक्स बस) उस माह के लिए किलोवाट घण्टे में} x (100 – एफ.ई.एच.एस)/100

29.5 ऊर्जा प्रभार दर (ई.सी.आर.) रूपयों में प्रति किलोवाट में जो एक्स पावर प्लांट आधार पर हायड्रो उत्पादन केंद्र के लिए होगी का निर्धारण दशमलव के तीन अंकों तक निर्धारित की जाएगी जो इस विधि से कंडिका 29(7) के प्रावधानों के अधीन होगी।

ई.सी.आर = ए.एफ.सी. x 0.5 x 10 / { डी.ई x (100–ए.यू.एक्स) x (100–एफ.ई.एच.एस.)}

जहाँ डी.ई – हायड्रो उत्पादन केंद्र की वार्षिक डिजाईन एनर्जी मेगावाट घण्टे में कंडिका 29 (6) के प्रावधानों के अधीन

एफ.ई.एच.एस – गृह राज्य के लिए मूल्य रहित ऊर्जा प्रतिशत में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निश्चित की जाएगी जहाँ कही लागू होगी।

29.6 यदि वास्तविक संपूर्ण ऊर्जा का उत्पादन एक हायड्रो उत्पादन केंद्र एक वर्ष में नहीं कर पाता और ऐसा उत्पादन डिजाईन एनर्जी की मात्रा से कम है और यह उन परिस्थितियों में हुआ जो उत्पादन कंपनी के नियंत्रण के बाहर की है तब ऐसा मामला गत्यात्मक आधार (रोलिंग बेसिस) पर निपटाया जाएगा।

(i) यदि उत्पादन कंपनी के व्यावसायिक संचालन में आने के 10 वर्ष के भीतर ऊर्जा उत्पादन में कमी आती है तब उस वर्ष का ई.सी.आर और उसमें बाद का वर्ष जिसमें ऊर्जा उत्पादन में कमी हुई है तो उसकी गणना विनियम की कंडिका 29(5) में दर्शाई गई विधि के अनुसार होगा जो संशोधित योजित ऊर्जा (डिजाईन एनर्जी) उस वर्ष के लिए वास्तविक उत्पादित ऊर्जा के बराबर मानी जाएगी जिस वर्ष में उत्पादन में कमी आई है जब तक कि पिछले वर्ष

की कमी का प्रभार पूरा नहीं किया जाता । इसके पश्चात नार्मल ई.सी.आर लागू होगा।

(ii) यदि ऊर्जा में 10 वर्ष पश्चात कोई कमी किसी उत्पादन केंद्र के व्यवसायिक संचालन के पश्चात होती है तब निम्नलिखित पद्धति लागू होगी।

मान ले कि एक उत्पादन केंद्र की वार्षिक निर्मित क्षमता डी.ई (डिजाईन एनर्जी) एम.डब्लू.एच. में निर्धारित है और वास्तविक उत्पादन संबंधित प्रभार वित्तीय वर्ष एवं बाद के द्वितीय वित्तीय वर्ष जो क्रमश ए. I, ए. II, एम डब्लू एच है। ए I जो डिजाईनर ऊर्जा से कम है तब डिजाईन ऊर्जा की पद्धति इस विनियम की कंडिका 29(5) के अनुसार ई.सी.आर. की गणना तृतीय वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित दर जैसे (ए I + ए II - डी.ई) एम.डब्ल्यू.एच. के अधीन उसके डिजाईन ऊर्जा के अधिकतम एम.डब्ल्यू.एच. और न्यूनतम ए I एम. डब्ल्यू.एच. के दर पर होगा।

(iii) वास्तविक उत्पादित ऊर्जा (जैसे ए I, ए II) की मात्रा मीटरीत ऊर्जा जो केंद्र से बाहर भेजी गई को 100/(100–ए.यू.एक्स.) से गुणा करके निकाली जाएगी।

29.7 यदि एक हायड्रो उत्पादन केंद्र की ऊर्जा प्रभार दरों की गणना उपरोक्त विनियम की कंडिका 29(5) से 80 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच से बढ़ती है और वास्तविक विक्रय हेतु ऊर्जा किसी वर्ष में बढ़ती है तब

{डी.ई x (100–ए.यू.एक्स.) x (100–एफ.ई.एच.एस)/10000}

एम.डब्ल्यू.एच की ऊर्जा प्रभार उपरोक्तानुसार अतिरिक्त ऊर्जा के लिए 80 पैसे प्रति केडब्ल्यू.एच मात्रा के अनुसार ही बिल में प्रभारित किया जाएगा।

तथापि किसी वर्ष के बाद के वर्ष में जो ऊर्जा उत्पादित की गई थी वह डिजाईन ऊर्जा से कम थी तथा उसका कारण उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से बाहर था तब ऊर्जा प्रभार दर कम कर 80 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच. कर दी जाएगी जब तक पिछले वर्ष में ऊर्जा प्रभार की कमी को पूरा नहीं किया जाता।

29.8 राज्य भार प्रेषण केंद्र हायड्रो उत्पादन केंद्रों के उत्पादन योजना (अनुसूची) को अंतिम रूप देगा जो हितग्राहियों से परामर्श पश्चात् समस्त घोषित उपलब्ध ऊर्जा के इच्छित उपयोग हेतु है उसे लाभार्थियों के लिए उत्पादन केंद्र में उनके लिए आबंटित ऊर्जा के अनुपात में योजित (अनुसूची) किया जाएगा।

30. राज्यांतरिक पारेषण तंत्र के लिए पारेषण प्रभारों की गणना तथा उसका भुगतान

30.1 पारेषण तंत्र की निर्धारित कीमत (स्थिर लागत) वार्षिक रूप में गणना की जाएगी जो इन विनियमों में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार होगी एवं जैसे उचित हो समेकित किए जाऐंगे तथा उपयोगकर्त्ता से ऐसे पारेषण प्रभार मासिक रूप से वसूल किए जाऐंगे।

30.2 पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन सहित) जो पारेषण तंत्र या उसके भाग के लिऐ एक कैलेंडर माह के लिए इस प्रकार होंगेः–

ए.एफ.सी x (एन.डी.एम/एन.डी.वाई) x (टी.ए.एफ.एम./एन.ए.टी.ए.एफ)

जहाँ ए.एफ.सी – वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक स्थिर लागत रूपयों में

एन.ए.टी.ए.एफ – मानदण्डीय वार्षिक पारेषण उपलब्धता घटक प्रतिशत में

एन.डी.एम – माह में दिनों की संख्या

एन.डी.वाई – वर्ष में दिनों की संख्या

टी.ए.एफ.एम – एक माह के लिए पारेषण तंत्र उपलब्धता घटक प्रतिशत में जैसे परिशिष्ट III के अनुसार गणना की गई है।

30.3 अलग एन.ए.टी.ए.एफ. वाले पारेषण तंत्र के उस भाग के लिए पारेषण प्रभारों की गणना अलग से की जाएगी और सकल प्रभार में समयोजित होगी, जो लाभार्थियों की हिस्सेदारी होगी।

30.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रभारों के लिए देयक प्रस्तुत करेगा (जो प्रोत्साहन सहित होगा) जो एक माह के लिए टी.ए.एफ.एम के अनुमान पर आधारित होगा। यदि कोई समायोजन हो तो उसका समायोजन टी.ए.एफ.एम पर आधारित होगा जो एस.एल.डी.सी के द्वारा संबंधित माह के अंतिम दिन से 30 दिन के भीतर सत्यापित करा लिया जाय।

31. अनसेड्यूल इंटरचेंज प्रभार (UI charges)

31.1 एक उत्पादन कंपनी द्वारा वास्तविक शुद्ध इनजेक्शन एवं अनुसूचित शुद्ध इन्जेक्शन के अंतरों तथा लाभार्थियों द्वारा ली जाने वाली शुद्ध मात्रा तथा लेने के लिए अनुसूचित शुद्ध मात्रा का अंतर यू.आई. प्रभार कहे जाऐंगे जैसे कि सी.ई.आर.सी. द्वारा समय–समय पर निर्देशित किये जाएंगे एवं थर्मल उत्पादन कंपनी के लिए वे केप प्राईज से युक्त होंगे।

31.2 वास्तविक शुद्ध यू.आई.प्रभार को प्रत्येक राज्य के लिए अलग से मापी जाएगी जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा लगाए गए विशेष ऊर्जा मीटरों से मापी जाएगी एवं इसकी गणना मेगावॉट घण्टे में प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल से राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा की जाएगी।

31.3 कोई अन्य मामला जो यू.आई.प्रभार के लागू होने आदि के बारे में हो उसे सी.ई.आर. सी. (यू.आई) विनियम जो समय–समय पर संशोधित हों के अनुसार निर्णीत होंगे जब तक आयोग ऐसे विनिमय विनिर्धारित नहीं करती।

———————

अध्याय – 4

संचालन के मापदण्ड

32.1 उत्पादन कंपनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा ऊर्जा प्रभार, क्षमता प्रभार, पारेषण प्रभार एवं प्रोत्साहन की वसूली इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए संचालन मानकों की प्राप्ति पर आधारित होगी

32.2 आयोग स्वतः इस अध्याय में वर्णित संचालन मानकों/शिथिलीकृत मानकों को स्वतः संशोधित कर सकता है जो किसी भी उत्पादन केंद्र से संबंधित हो।

थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए संचालन मानक

33. **थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए संचालन मापदंड नीचे दिए अनुसार होगे–**

33.1 मानदंडीय **वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक (एन.ए.पी.ए.एफ)**

(ए) कंडिका बी,सी के अंतर्गत न आने वाले समस्त थर्मल उत्पादन केंद्र 85%

(बी) हसदेव थर्मल ऊर्जा केंद्र कोरबा, (4 x 210 एम.डब्ल्यू) 82%

(सी) कोरबा पूर्व टी.पी.एस. कॉम्पलेक्स (4 x 50 एम.डब्ल्यू और 2 x 120 एम.डब्ल्यू)

2010-11	2011-12	2012-13
78%	78.25%	78.50%

टीपः– यह उपरोक्त बी मानक शिथिलीकृत मानक है।

33.2 **केंद्र का सकल हीट रेट (जी.एस.एच.आर.)**

(ए) मौजूदा थर्मल उत्पादन केंद्र

अ. कोयला आधारित मौजूदा उत्पादन केंद्र जो निम्नानुसार कंडिका बी और सी के अंतर्गत नहीं आते है।

200/210/250/एम.डब्ल्यू सेट्स	**500 एम.डब्ल्यू सेट्स (सब क्रिटिकल)**
2500 kCal/kWh	**2425 kCal/kWh**

ब. हसदेव थर्मल पावर केंद्र कोरबा डब्ल्यू (4 x 210 एम.डब्ल्यू) जी.एच.आर 2650 के kCal/kWh

स. कोरबा पूर्व कॉम्पलेक्स टी.पी.एस. के लिए (4 x50 एम.डब्ल्यू और 2x120 एम. डब्ल्यू)

2010-11	2011-12	2012-13
2975 KCal/kwh	2950 KCal/kwh	2925 KCal/kwh

नोटः– 1) 500 मेगावॉट एवं इससे ऊपर की इकाईयों के लिए जहां पर ब्वायलर फीड पंप विद्युत द्वारा संचालित है वहां सकल केंद्र ऊष्मा दर उपरोक्त वर्णित जी.एस.एच.आर. से 40 kCal/kWh कम होगी।

2) ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जहॉ 200/210/250 मेगावॉट सेटस और 500 मेगावॉट और उससे ऊपर के सेटस का संयोजन है वहॉ मानदण्डीय सकल उत्पादन केन्द्र उष्मा दर को इन संयोजनों के औसत सकल विद्युत उत्पादन केन्द्र उष्मा दर संयोजनों से भरांकित किया जायेगा।

3) ऊपर बी में दिए गए मानक शिथिलीकृत मानक हैं।

(बी) नये थर्मल उत्पादन केंद्र जिन्होंने 01.04.2010 को या उसके बाद व्यावसायिक संचालन दिनांक से (सी.ओ.डी.) प्राप्त किया हैः–

अ. कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केंद्र

= 1.065 X रूपांकित ऊष्मा दर (kCal/kWh)

जहाँ किसी इकाई की रूपांकन उष्मा दर से अभिप्रेत है शत्प्रतिशत एम.सी.आर., शून्य प्रतिशत मेकअप, रूपांकित कोयला और रूपांकित कुलिंग टावर तापमान/बैक प्रेशर की दशाओं में प्रदायकर्ता द्वारा गारंटीकृत इकाई उष्मा दर;

परन्तु, ऐसी रूपांकन उष्मा दर निम्नांकित अधिकतम रूपांकन इकाई उष्मा दरों से, इकाई की दबाव और तापमान रेटिंग पर निर्भर रहते हुए निम्नलिखित अधिकतम रूपांकन उष्मा दर से अधिक नहीं होगी।

प्रेसर रेटिंग (किग्रा/सेमी 2)	150	170	170	247	247
एस.एच.टी/आर.एच.टी. (0_C)	535/535	537/537	537/565	537/565	565/593
बी.एफ.पी का प्रकार	विद्युत संचालित	टरबाईन संचालित	टरबाईन संचालित	टरबाईन संचालित	टरबाईन संचालित
अधिकतम टरबाईन चक्र ऊष्मादरे kCal/kWh	1955	1950	1935	1900	1850
वाष्प यंत्र की न्यूनतम दक्षता					
उप बिटुमिनस भारतीय कोयला	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
बिटुमिनस आयातित कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
अधिकतम रूपांकित ईकाई ऊष्मा (kCal/kWh)					
उप बिटुमिनस भारतीय कोयला	2300	2294	2276	2235	2176
बिटुमिनस आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135	2079

परन्तु, यह और भी कि जिस प्रकरण में किसी इकाई के दबाव और तापमान के मानक उपर्युक्त रेटिंग से भिन्न है, वहॉ निकटतम श्रेणी की अधिकतम रूपांकन इकाई उष्मा दर को लिया जायेगा।

परन्तु, यह और भी कि जहॉ इकाई उष्मा दर गारंटीकृत नहीं है लेकिन उसी प्रदायकर्ता या भिन्न प्रदायकर्ताओं द्वारा उष्मा दर और बायलर की दक्षता पृथक से गारंटीकृत है, वहॉ इकाई रूपांकन उष्मा दर निकालने के लिए गारंटीकृत टरबाईन चक्रिय उष्मा दर और बायलर दक्षता का उपयोग किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि 01/04/2010 पूर्व कोई भी एक इकाई अथवा कई इकाईयों व्यावसायिक संचालन हेतु घोषित हो चुकी हो तो इकाइयों का यदि 01/04/2010 के बाद व्यावसायिक संचालन में आई इकाई के लिए उपरोक्त पद्धति से जो मानक प्राप्त होगे उनसे कम मानक होगे जो इस विनियम के पैरा 33.2। के अनुसार होगे।

नोटः– ऐसी इकाईयों के लिए जो ऊष्माधारित पंप विद्युत से संचालित हैं। वहां अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मादर 40 Kcal/kwh से कम होगी जो अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मादर जैसे ऊपर वर्णित है टरबाईन संचालित बी.एफ. पी से होगा।

33.3 द्वितीयक ईधन तेल का उपभोग (Secondary fuel oil consumption)

(ए) नीचे लिखे कोयला आधारित उत्पादन केंद्र (बी) एवं (सी) को छोड़कर

: 1.0 एम.एल/के.डब्ल्यू.एच.

(बी) कोयला आधारित उत्पादन केंद्र जिसके इकाई का आकार 200 मेगावॉट से कम हो : 1.5 एम.एल/के.डब्ल्यू.एच

(सी) कोरबा पूर्व कॉम्प्लेक्स टी.पी.एस (4x50 MW 2x120 MW)

2010-11	2011-12	2012-13
2.25 ml/kwh	2.15 ml/kwh	2.00 ml/kwh

33.4 सहायक ऊर्जा खपत

(ए) कोयला आधारित उत्पादन केंद्र जो नीचे(बी) को छोड़कर।

	प्राकृतिक सूखे कूलिंग टावर या बिना कूलिंग टावर के
(i) 200 मेगावॉट सीरीज	8.5%
(ii) 500 मेगावॉट या उसके ऊपर	
भाप से चलने वाले वाले बायलर फीड पंप	6.0%
विद्युत संचालित बायलर फीड पंप	8.5%

बशर्ते इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर वाले थर्मल उत्पादन केंद्र के लिए मानक 0.5% बढ़ाया जा सकेगा।

(बी) उत्पादन केंद्र के पिछले क्षमता प्रदर्शन को विचार में रखते हुए एवं उसके डिजाईन के पक्षों को देखते हुए सहायक उपभोग जो मौजूदा दो ऊर्जा केंद्रों जो छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा उत्पादन कंपनी के है इस प्रकार से होगा।

(i) हसदेव थर्मल पावर केंद्र (4 X 210 मेगावॉट) = 9%

(ii) कोरबा पूर्व कॉम्पलेक्स टी.पी.एस (4 X 50 मेगावॉट + 2 x 120 मेगावॉट)

2010.11	2011.12	2012.13
10.4%	10.35%	10.3%

टीपः– 1. ऊपर वर्णित मानक जो बी (1) में अंकित है शिथिलीकृत मानक है।

2. साधारण संचालन मानदंड कोरबा (पूर्व) टी.पी.एस. में सुधार अथवा शिथिलीकरण जो कोयले की गुणवत्ता के कारण होगा की वार्षिक दक्षता समीक्षा के दौरान की जाएगी।

हाईड्रो उत्पादन केंद्र, लघु हायड्रो उत्पादन केंद्र तथा बगास (Baggase) आधारित उत्पादन केंद्रों के संचालन मानदण्ड

34(A) **नीचे दिए गए संचालन मानक हायड्रो उत्पादन केंद्र को लागू होंगे।**

(i) हाईड्रो उत्पादन केंद्रों के उपलब्धता घटक वार्षिक आधार पर:

(1) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एन.ए.पी.ए.एफ) हायड्रो उत्पादन केंद्रों के लिए निम्नलिखित पद्धति से आयोग द्वारा तय किए जाएंगे।

(a) संग्रहीत (Storage) एवं पोखर आपूर्ति संयंत्र (Pandage type plant) जो भराव की विभिन्नता जो पूर्ण भंडारण स्तर तथा न्यूनतम ड्रापडाउन स्तर (एम.डी.डी.एल) के 8% तक हो और जहॉ पर संयंत्र की उपलब्धता कीचड़ के कारण प्रभावित नहीं होती हो ––––– 90%

(b) संग्रहीत (Storage) एवं पोखर टाईप संयंत्र (Pandage type plant) जो अलग–अलग स्थान पर हो वहॉ एफ आर एल (FRL) एवं एम.डी.डी.एल (MDDL) की विभिन्नता 8% से अधिक हो तथा कीचड़ के कारण संयंत्र उपलब्धता प्रभावित नही होती हो तो संयंत्र की विशिष्ट छूट एन.ए.पी.ए.एफ में दी जाएगी जो मेगावॉट की क्षमता को घटाने हेतु होगा, जो भंडार के स्तर के माह पर्यन्त कम होने के कारण होगा। एक सामान्य निर्देश सिद्धांत के रूप में यह छूट जो इन घटकों के गुणांक के द्वारा वार्षिक औसत शुद्ध भराव, (औसत भराव/रेटेड हेड) + 0.02 की विधि से निकाला जाएगा।

यदि इस प्रदर्शन को करने में परेशानी होती है तब विकल्प के रूप में (एम.डी.डी.एल पर हेड/रेटेड हेड) x 0.5+0.52 पर निर्धारित किया जाएगा।

(c) पोखर जैसे संयंत्र (Pandage type plant) के लिए जहॉ पर संयंत्र की उपलब्धता कीचड़ में कारण विशेष कर प्रभावित होती है ––– 85%

(d) बहती नदी पर आधारित संयंत्र (Run-of-river-type-plant)

अलग–अलग संयंत्र का एन.ए.पी.ए.एफ निर्धारण 10 दिन के रूपांकित ऊर्जा आंकडों को पिछले अनुभवों के आधार पर सुगम किया जा सकेगा जहॉ उपलब्ध हो/सुसंगत हो।

(2) यहाँ आयोग द्वारा विशेष स्थितियों में एन.ए.पी.ए.एफ निर्धारित करते समय एक अतिरिक्त छूट और दी जाएगी जैसे असाधारण कीचड़ भी समस्या एवं अन्य संचालन परिस्थितियां जो संयंत्र की ज्ञात सीमाओ में हो।

(3) एक नई हायड्रो विद्युत परियोजना के मामले में उसके विकासकर्त्ता के पास एक विकल्प होगा कि वह आयोग से एन.पी.ए.एफ के निर्धारण के लिए जो इस विनियम में अनुच्छेद (1) (2), में दिए सिद्धांतों पर आधारित हो के लिए अग्रिम अनुरोधकर सकता है।

(ii) **सहायक विद्युत खपत (ए.यू.एक्स):**

(क) सतह वाले जल विद्युत उत्पादन केन्द्र

1. जनरेटर शाफ्ट पर चढ़े हुए घूमने वाले एक्साइटर्स सहित : 0.7%
2. स्थैतिक एक्साइटेशन प्रणाली Static excitation system सहित : 1.0%

(ख) भूमिगत जल विद्युत उत्पादन केन्द्र

1. जनरेटर शाफ्ट पर चढ़े हुए घूमने वाले एक्साइटर्स सहित : 0.9%
2. स्थैतिक एक्साइटेशन प्रणाली (Static excitation system) सहित : 1.2%

34.(B) बगास (Baggase) आधारित उत्पादन केंद्र के मानक सिद्धांत वैसे ही होगे जैसे बायोमास आधारित उत्पादन केंद्र के लिए तथा लघु हाइडल संयंत्रों के लिए आयोग के संबंधित आदेशों एवं विनियम के अंतर्गत हो।

पारेषण तंत्र का संचालन मानक

35. पारेषण तंत्र का वार्षिक मानक उपलब्धता घटक (एन.ए.टी.ए.एफ) निम्नानुसार होगा :–

(1) ए.सी पद्धति

2010-11	2011-12	2012-13
97%	97.5%	98%

(2) एच.वी.डी.सी. बाईपोल लिंक 92%

(3) एच.वी. डी.सी बैक टू बैक स्टेशन 95%

36. उपकेंद्र में सहायक ऊर्जा की खपत

36.(1) **ए.सी. पद्धति** – ए.सी. उपकेंद्रों के सहायक ऊर्जा खपत जो वातानुकूल, रोशनी एवं अन्य मशीनों पर प्रयोग होगी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जायेगा और उसे मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्यय में जोड़ा जायेगा।

36.(2) **एच.वी.डी.सी उपकेंद्र** – एच.वी.डी.सी केंद्रों पर सहायक ऊर्जा की खपत को केंद्र शासन उचित हिस्से को एक या अधिक आई.एस.जी.एस में वर्गीकृत कर सकती है। ऐसी ऊर्जा के प्रभार को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा। एवं उसे मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्यय में जोड़ा जायेगा।

37. पारेषण हानि और उसका उपचार

37.(1) विभिन्न वोल्टेज स्तर पर पारेषण हानियों की गणना विभिन्न स्त्रोतों से पारेषण हेतु डाली गई ऊर्जा (x) की मात्रा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपभोक्ताओं जो पारेषण तंत्र से जुड़े है, को प्रेषित की गई ऊर्जा (y) के अंतर से है। विभिन्न वोल्टेज स्तर से हुए पारेषण हानियों की प्रतिशत में गणना, पारेषण हानि होगी।

$$\text{पारेषण हानि } (\%) = \frac{(x-y) \times 100)}{x}$$

37.(2) मानक स्तर पर हुए पारेषण हानि जो आयोग के द्वारा अनुमोदित है को पारेषण तंत्र प्रयोग करने वालों के ऊर्जा लेखा में विकलित किया जाएगा यदि मानक स्तर की वास्तविक पारेषण हानि जो आयोग द्वारा अनुमोदित है से अधिक हानि होती है तब ऐसे मामलों में हानि की अधिक मात्रा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के खाते में डाली जाएगी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी हानि की भरपाई वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उस वर्ष में खरीदी गई ऊर्जा की धारित औसत मूल्य के आधार पर होगी।

————————

अध्याय – 5

व्हीलिंग तथा फुटकर आपूर्ति हेतु वार्षिक राजस्व अनुमान तथा टैरिफ

38. सामान्य

38.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने लेखाओं को व्हीलिंग व्यापार तथा फुटकर आपूर्ति व्यवसाय के लिए अलग–अलग रख सकता है। वार्षिक राजस्व अनुमान जो व्हीलिंग व्यवसाय से संबंधित होगा, उसे व्हीलिंग प्रभार तय करने में तथा वार्षिक राजस्व अनुमान जो फुटकर आपूर्ति व्यवसाय से संबंधित होगा, उसे फुटकर आपूर्ति टैरिफ तय करने हेतु प्रयोग किया जाएगा।

38.2 ऐसी अवधि के लिए जब तक लेखा अलग–अलग नहीं किए गए है तब तक अनुज्ञप्तिधारी एक वर्गीकरण पत्रक तैयार करेगा जिसमें वह इन दोनों व्यापारों के मूल्य एवं राजस्व को दर्शायेगा। यह विवरण पत्रक ऐसी पद्धति की जानकारी से युक्त होगा जो इस वर्गीकरण के लिए प्रयोग की गई है।

39. विक्रय अनुमान

39.1 अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के समस्त वर्षों के लिए प्रतिबंधित मांग (मेगावॉट में) एवं अप्रतिबंधित मांग (मेगावॉट में) सभी श्रेणियों में उपभोक्ताओं के लिए एवं विद्युत प्रदाय (एम.यू.में) अपने आपूर्ति क्षेत्र के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए एक अनुमान प्रस्तुत करेगा। यह श्रेणीवार पूर्वानुमान जो ऊर्जा विक्रय के लिए होगा का आकलन एक सामान्य मूल्यांकन आधारित और जी.ए.जी.आर तथा अन्य कोई अच्छी सांख्यिकीय पद्धति से किया जाएगा।

39.2 बिना मीटरों वालों उपभोक्ताओं यदि कोई हो के लिए विक्रय पूर्वानुमान उसको अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अच्छी तरह से समझकर किया हुआ होगा एवं आयोग के अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए, और राजस्व पत्रक में दर्शित होना चाहिए।

इनके द्वारा भविष्य के लिए किए गए पूर्वानुमानों का परीक्षण आयोग द्वारा किया जाएगा जो उपभोक्ताओं की वृद्धि, उपभोग की विधि, ऊर्जा क्षति एवं मांग पिछले वर्षो में अनुमानित वृद्धि अगले वर्षो में एवं अन्य घटक जो आयोग उचित समझे उन पर विचार किया जाएगा एवं विक्रय अनुमोदित किया जाएगा या संशोधित किया जाएगा जैसा वह उचित समझे।

39.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी खुली पहुँच वाले श्रेणीवार ग्राहकों का उल्लेख करेगा तथा ऐसी मांग एवं प्रदाय ऊर्जा को अलग–अलग प्रदर्शित करेगाः

जैसेः–

(अ) अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्रदाय और

(ब) अपने क्षेत्र के बाहर प्रदाय

40. वितरण हानि और उसका उपचार :

40.1 किसी विशेष वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वितरण प्रणाली में इस वोल्टेज पर अंतःक्षेपित (Injected) ऊर्जा और उस वोल्टेज स्तर पर सभी उपभोक्ताओं को विक्रित कुल ऊर्जा तथा उस विशेष वोल्टेज स्तर के नीचे के स्तर को दी गई ऊर्जा के योग का अंतर होगी। अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर निर्धारित अमीटरीकृत विक्रय, यदि कोई हो तो, एवं मीटरीकृत विक्रय का योग, विक्रित ऊर्जा होगी।

40.2 आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कराये गये अध्ययन के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये एक यथार्थवादी (realistic) एवं निष्पाद्य (achievable) हानि लक्ष्य (loss target) (हानि कम करने हेतु) अनुमोदित करेगा। ऐसा अध्ययन उपलब्ध न होने की दशा में आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत हानियों पर प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ऐसा लक्ष्य, जिसे आयोग उचित समझे, निर्धारित करेगा।

40.3 विद्युत हानि स्तर को दक्षता के स्वीकार्य मानदंड तक धीरे–धीरे नीचे लाने (हानि घटाने) हेतु दीर्घकालिक व अल्पकालिक दोनों के लिए लक्ष्य, आयोग तय करेगा।

40.4 बेहतर प्रशासन के लिये प्रभावी कार्यवाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक वितरण हानि वाले क्षेत्रों/स्थानों पर अधिभार लगाये जाने पर विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कण्डिका 8.2.1(2) के प्रावधान के अनुसार, विद्युत हानि कम करने से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के लिये, क्षेत्रीय आधार पर, उचित प्रोत्साहन और दण्ड राशि लगाये जाने की योजना को, आयोग, बढ़ावा दे सकता है।

41. विद्युत के क्रय की आवश्यकता का आंकलन

41.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमानित विद्युत क्रय पूर्वानुमान, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्वानुमानित ऊर्जा विक्रय अनुमान और नियंत्रण अवधि के वर्षों के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण हानियों एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये अनुमोदित पारेषण हानियां के आधार पर ज्ञात की जावेगी।

41.2 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विद्युत के क्रय की आवश्यकता की जांच आयोग द्वारा की जायगी और उपयुक्त समझे गये परिवर्तनों सहित इसे आयोग अनुमोदित करेगा।

42. सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.)

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग व्यवसाय और फुटकर आपूर्ति व्यवसाय के ए.आर.आर. में निम्नलिखित सम्मिलिति होंगेः–

(a) विद्युत क्रय लागत

(b) पारेषण राज्य और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की लागत

(c) संचालन एवं संधारण व्यय

(d) मूल्यह्रास

(e) ऋण पूंजी पर ब्याज

(f) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

(g) समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन

(h) आय पर कर

(i) अन्य व्यय, यदि कोई हो तो

टीपः– गैरटैरिफ आय (non tariff income) जो विनियम 65 में वर्णित है उसे ए.आर.आर. निर्धारित करने हेतु उपरोक्त (a से i) के योग की राशि में से घटाया जाएगा।

43. संचालन एवं कार्य प्रदर्शन हेतु मानक लक्ष्य

43.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जानकारी और अन्य आंकड़ों के आधार पर, आयोग, कार्य प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित लक्ष्य टैरिफ आदेश में निर्धारित करेगाः–

(a) वितरण हानि ह्रास प्रक्षेपवक्र (distribution loss reduction trajectory)

(b) ऊर्जा दक्षता एवं मांग प्रबंधन के पक्ष में किए गए उपाय

(c) अवशेष (एरियर्स) में कटौती/संग्रहण दक्षता में सुधार

43.2 आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेहतर कार्यान्वयन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर सकता है।

44. विद्युत क्रय की लागत

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा विद्युत भार के पूर्वानुमान के आधार पर उपभोक्ताओं को अनुमोदित विद्युत की आपूर्ति के लिए, राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन केन्द्रों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, आबद्ध विद्युत संयंत्र (captive power plant) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित अन्य सभी स्रोतों से विद्युत प्राप्ति कर उसकी लागत वसूल करने हेतु अनुमत होगा।

44.1 अनुमोदित फुटकर विक्रय स्तर को पारेषण एवं वितरण हानियों के मानक स्तर, जैसा कि अनुमोदित हानि पथ (loss trajectory) में दिया गया हो, द्वारा वर्धित किया जावेगा, ताकि क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा ज्ञात की जा सके जिससे ए.आर.आर. में विद्युत क्रय का आंकलन किया जा सके।

44.2 विद्युत क्रय की लागत अनुमोदित करते समय, आयोग, प्रेषण योग्यता क्रम सारणी के सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा विद्युत क्रय की प्रभावी लागत के क्रम में निर्धारित करेगा।

44.3 सभी विद्युत क्रय लागतों को वैध माना जावेगा जब तक की यह स्थापित न हो कि योग्यता क्रम के सिद्धांत का उल्लघंन किया गया है अथवा विद्युत की खरीदी अनुचित दरों पर की गई है।

44.4 विदेशी विनिमय विचलन का जोखिम, यदि कोई हो तो, उसे अनुमत नहीं किया जावेगा। तथापि, विद्यमान विद्युत क्रय अनुबंधों के मामलों में, जिनमें विदेशी विनिमय दर विचलन के भुगतान का प्रावधान हो तो ऐसे अनुबंधों के जारी रहने तक उन्हें विद्युत क्रय लागतों में शामिल करने की अनुमति दी जावेगी।

45. पारेषण प्रभार और राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार

45.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को राज्यांतरिक/अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र तक पहुंच एवं उसके उपयोग के लिए, संबन्धित आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार देय पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु अनुमत होगा।

45.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुमोदित स्तर पर निम्नलिखित व्ययों की वसूली करने हेतु भी अनुमत होगा :–

(a) हस्तक्षेपीय (intervening) पारेषण सुविधाओं हेतु प्रभार;
(b) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों) के वितरण तंत्र के उपयोग हेतु व्हीलिंग प्रभार;
(c) अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र तक पहुंच एवं उसके उपयोग हेतु सी.ई.आर.सी द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार देय प्रभार; और
(d) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सक्षम आयोग द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट देय शुल्क एवं प्रभार।

46. संचालन एवं संधारण व्यय

46.1 संचालन एवं संधारण व्यय (ओ एण्ड एम) से तात्पर्य निम्नलिखित मदों में होने वाले समस्त व्ययों के योग से है:–

(a) कर्मचारी लागत;
(b) सुधार एवं संधारण व्यय (आर एण्ड एम) और
(c) प्रशासनिक एवं सामान्य (ए एण्ड जी) लागत।

46.2 वितरण कंपनी अपने प्रतिवेदन में संचालन एवं संधारण व्यय पृथक–पृथक शीर्ष पर आधार वर्ष एवं आधार वर्ष के पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रस्तुत करेगा चाहे लेखा परीक्षण किए गए हों अथवा नहीं। संचालन संधारण व्यय जो आधार वर्ष के लिए है का प्रयोग नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के खर्चो को दर्शाने हेतु किया जाएगा।

47. ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

47.1 ऋण पूंजी एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभारों की गणना क्रमशः खण्ड 23 एवं 25 के अनुरूप की जावेगी

47.2 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निकालने के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:–

(a) एक माह के लिए संचालन एवं संधारण व्यय;
(b) पुर्जों का संधारण व्यय; जो संचालन एवं संधारण व्यय के 15 प्रतिशत का हो और
(c) दो महीनों के औसत राजस्व के बराबर प्राप्तियाँ।

48. **समता पूंजी पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्वीटी)** – टैरिफ नीति के प्रावधानों की कंडिका 53 (ए) को विचार में लेते हुए आयोग विनियम 22 के अनुसार समता पूँजी पर प्रतिफल की अनुमति दे सकता है जिसमें वितरण व्यवसाय में सम्मिलित उच्च खतरों को ध्यान में रखकर उचित संशोधन कर सकता है। साथ ही आयोग फोरम ऑफ रेग्युलेटर या किसी सक्षम शासकीय अधिकारी की अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है।

49. **मूल्यह्रास**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों के अवमूल्यन की गणना इस विनियम के नियम 24 के प्रावधानों अनुसार की जावेगी।

50. **डूबत एवं शंकास्पद बकाया**

आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की डूबत व शंकास्पद बकाया रकम को बट्टे खाते में डालने के प्रावधान पर विचार कर सकता है। मानक प्रावधान के रूप में विद्युत विक्रय के राजस्व का एक प्रतिशत, पिछले वर्ष वास्तव में डाले गये डूबत शंकास्पद बकाया को बट्टे खाते में डालने की शर्त पर, डूबत एवं शंकास्पद बकाया के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

51. **फुटकर आपूर्ति टैरिफ**

फुटकर आपूर्ति टैरिफ, लागत को प्रतिबिम्बित करने वाला होगा और उसे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आयोग द्वारा अनुमोदित सकल राजस्व अनुमान को अभिप्राप्त करने हेतु बनाया जावेगा। आयोग क्रास सब्सिडी को पुनः संतुलित करने हेतु प्रतिवर्ष आपूर्ति टैरिफ को अंतःसमायोजित कर पुनर्निर्धारित कर सकेगा। मांगोन्मुख प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों को प्रोत्साहित करने हेतु दो भागों वाले टैरिफ जिसमें स्थिर एवं परिवर्तनीय प्रभार पृथक–पृथक दिखाते हुए और पीक एव ऑफ–पीक अवधि के लिए अवकलनीय टैरिफ लागू किया जा सकेगा। आयोग, उपभोक्ताओं का वृहत् वर्गीकरण और टी.ओ. डी. टैरिफ को लागू करने की समयावधि अनुबद्ध करेगा। अवकलनीय टैरिफ अनुबद्ध करते समय आयोग पीक एवं ऑफ–पीक अवधि भी दर्शायेगा। आयोग मीटरीकरण और मीटर मापित टैरिफ को बढ़ावा देने हेतु, विशेषकर उन उपभोक्ता श्रेणियों के लिए जो एक बड़ी संख्या में वर्तमान में अमीटरीकृत हैं, पारितोषक उपलब्ध करा सकेगा। टैरिफ का आकार जो विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए होगा वह सकल औसत ऊर्जा प्रदाय (टोटल एवरेज कास्ट ऑफ सप्लाई) के मूल्य पर आधारित होगा जैसा कि टैरिफ नीति में समाहित है।

52. **व्हीलिंग प्रभार**

52.1 वितरण तंत्र के उपयोगकर्ताओं द्वारा देय व्हीलिंग प्रभार इस प्रकार निर्मित किये जायेगें ताकि व्हीलिंग व्यवसाय हेतु आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए यथा–अनुमोदित सकल राजस्व आवश्यकता को अभिप्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार निकाले गये व्हीलिंग प्रभार को वोल्टेजवार आपूर्ति के अनुसार विभाजित किया जावेगा। तथापि, जब तक पर्याप्त और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो, तब तक व्हीलिंग प्रभार, वोल्टेज से निरपेक्ष रहते हेतु, एक समान दर पर निर्धारित किया जायेगा।

52.2 व्हीलिंग प्रभार, अनुमोदित लागतों और विद्युत विक्रय/मांग के पूर्वानुमान के आधार पर निर्धारित किया जावेगा। विद्युत विक्रय में फेर–बदल को देखते हुए, कुल संविदा मांग/संयोजित भार व्हीलिंग प्रभारों के निर्धारण का आधार हो सकेगा, जिसमें विक्रय अंतरों का ध्यान रखा जाएगा।

52.3 वितरण तंत्र के उपयोगकर्ता, तंत्र में होने वाली विद्युत की हानियों का समायोजन प्रावाधित करने हेतु व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त संबंधित वोल्टेज स्तरों पर वितरण हानि को वहन करेंगे।

52.4 व्हीलिंग प्रभार अनुबंधित ऊर्जा (Contracted Energy) पर लगाए जाएंगे, जिसकी गणना अनुबंधित व्हीलिंग पॉवर पर 100% भार घटक (load factor) के आधार पर की जाएगी।

53. शासन द्वारा सब्सिडी

यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी को सहायता करने का अभिनिश्चय करती है तो वह, अधिनियम की धारा–65 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान, सहायिकी स्वीकृत करने से प्रभावित हुए अनुज्ञप्तिधारी की क्षतिपूर्ति के लिए उस रीति से करेगी जैसी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। परन्तु राज्य सरकार द्वारा सहायिकी स्वीकृत करने का कोई निदेश तब तक प्रभावशील नहीं होगा, जहां अधिनियम की धारा 65 में निहित प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं कर दिया गया है और आयोग द्वारा निश्चित शुल्क इस संबंध में उसके द्वारा जारी आदेश के प्रभावशील होने की दिनांक से प्रयोज्य होगा ।

53.1 अधिनियम के इस प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग राज्य सरकार की सहायिकी संबंधी वचनबद्धता पर विचार किए बिना प्रारंभतः शुल्क का निर्धारण करेगा और ऐसा सहायिकीकृत शुल्क, उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणियों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता पर विचार करने के उपरांत निकाला जाएगा।

53.2 देय सहायिकी को राज्य सरकार के बकाया ऋणों के विरूद्ध किसी प्रकार समायोजित नहीं किया जाएगा। फिर भी सी.एस.पी.डी.सी.एल/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकत्र की गई विद्युत कर जो वास्तव में संग्रहीत किए गए है पर अनुदान को समायोजित करने की पात्रता होगी।

———————

अध्याय – 6
अनुसूचीकरण, लेखांकन एवं बिलिंग
(Scheduling, Accounting and Billing)

54. **अनुसूचीकरण (Scheduling) –** उत्पादन केन्द्र के अनुसूचीकरण (Scheduling) एवं प्रेषण (Dispatch) को तय करने की पद्धति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड कोड जो समय–समय पर संशोधित होगा, के अनुसार ही होगी और उन प्रकरणों में जो आयोग के इन विनियमों अथवा स्टेट ग्रिड कोड के अंतर्गत नहीं आएंगे उनमें यू. आई. विनियम आई.ई.जी.सी. या सी.ईआर.सी. विनियम के प्रावधान लागू होंगे।

मीटरींग एवं एकाउंटिग– छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड कोड यथा समय–समय पर संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

55 **बिलिंग एवं प्रभारों का भुगतान :–**

(1) उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी राज्य पारेषण इकाई के द्वारा क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार एवं पारेषण प्रभार के लिए देयक प्रतिमाह मासिक आधार पर इन विनियमों के अनुसार प्रस्तुत किए जायेंगे और इनका भुगतान लाभार्थियों अथवा पारेषण ग्राहकों के द्वारा सीधे ही उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को जैसा प्रयुक्त हो किया जाएगा।

टीपः– छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित वर्तमान में नॉन ए.बी.टी. पद्धति से छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विद्युत कंपनी मर्यादित विद्युत आपूर्ति कर रहे है। यद्यपि ए. बी.टी. पद्धति प्रथम बार उपयोग में लायी जायेगी। यदि इसको प्रयोग करने में परेशानी आती है तो आयोग इसे प्रयोगिक तौर पर टैरिफ आदेश में दिए गए समय हेतु अनुमति दे सकता है। तब तक की अवधि के लिए सभी व्यावसायिक समायोजन मौजूदा प्रबंधन के अनुसार रहेगे या जैसा आयोग अपने टैरिफ आदेश में उल्लेखित करे के अधीन होंगे।

(2) संयंत्र की किसी क्षमता के लिए लाभार्थी वर्गीकृत और अनुबंधित नहीं है तब संबंधित उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभार का भुगतान किया जायेगा।

(3) फुटकर ग्राहकों की बिलिंग छत्तीसगढ़ राज्य प्रदाय कोड 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जायेगें।

(4) यदि राज्य शासन देय अनुदान की राशि समय पर भुगतान नहीं करता है और फुटकर उपभोक्ताओं के मामलों में सी.एस.पी.डी.सी.एल. अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ अनुसार देयक प्रस्तुत करेगा।

56. **छूट**

56.1 उत्पादन कंपनी एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के देयकों के भुगतान के लिए साख पत्र के माध्यम से प्रस्तुत होने पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमत होगी।

56.2 जहां पर साख पत्र के माध्यम से अन्यथा भुगतान किए जाते है वहां उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किए गए देयकों पर 1 प्रतिशत की छूट अनुमत होगी।

57. विलंबित भुगतान पर अधिभार (Late payment surcharge)

57.1 इन विनियमों के अंतर्गत प्रभारों के बिलों के भुगतान को लाभार्थी द्वारा देयक जारी होने के 60 दिन से ऊपर विलंबित किया जाता है तब 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंबित अधिभार उत्पादन कंपनी, या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिया जाएगा।

57.2 विलंबित भुगतान पर अधिभार फुटकर उपभोक्ताओं से संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य होगा।

———————

अध्याय – 7

प्रकीर्ण प्रावधान

58. **सी.डी.एम. लाभों का बंटवारा**– कार्बन क्रेडिट की राशि जो अनुमोदित सी.डी.एम परियोजना से आएगी उसका बंटवारा निम्न प्रकार से होगा जैसाः–

(ए) सी.डी.एम. की सकल आगम का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष में जो होगा वह परियोजना विकसित करने वाला रखेगा तथा व्यावसायिक संचालन के बाद उत्पादन केंद्र या पारेषण तंत्र जैसा भी हो रखा जाएगा।

(ब) द्वितीय वर्ष में लाभार्थियों का हिस्सा 10% होगा जो प्रतिवर्ष 10% तक बढेगा जब तक कि यह बढ़कर 50% न हो जाए, इसके पश्चात् की आगम राशि बराबर भाग में बांटी जायेगी जो उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्तिधारी लाभार्थी/उपभोक्ता के मध्य जैसा भी हो बंटेगी।

59. **संचालन मानक ही अभीष्ट प्रतिमान होंगे** – इन विनियमों में वर्णित संचालन के मानक ही अभीष्ट प्रतिमान है और इन मानकों को उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा भी हो और लाभार्थी तथा दीर्घ समयावधि पारेषण ग्राहक जो संचालन के परिवर्धित मानकों से सहमत हो से अलग नहीं होंगे तथा यह परिवर्धित मानक टैरिफ के निर्धारण हेतु लागू माने।

60. **मानदंडों से विचलन (Deviation from norms):**

यथास्थिति, उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत के विक्रय या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण प्रभारों हेतु दरों का निर्धारण निम्नलिखित दशाओं में, इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के विचलन में भी किया जा सकता है :

(a) मानदंडों के विचलन के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल में स्तरीकृत टैरिफ, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर परिगणित स्तरीकृत टैरिफ से अधिक नहीं हो रहे हैं; और

(b) कोई भी विचलन आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा, जिसके लिए यथास्थिति उत्पादन कंपनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन किया जाएगा।

उदाहरण : विनियम 60 के उपखंड (a) में संदर्भित स्तरीकृत टैरिफ की गणना के उद्देश्य से छूटकारक (डिस्काउंटिंग फैक्टर) समय–समय पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

61. **आय पर कर** – उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय आय कर की वसूली लाभार्थियों अथवा राज्यांतरिक पारेषण ग्राहकों से नहीं की जाएगी।

बशर्ते कि अस्थगित कर देयता एवं कर्मचारियों के कर लाभ जो 31 मार्च 2010 तक के हो जब भी उत्पन्न होगा उनकी वसूली सीधे लाभाथियों और राज्यांतरिक पारेषण ग्राहकों से की जाएगी।

62. **विदेशी मुद्रा विनियम दरों में भिन्नताः**

62.1 यथास्थिति, उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी उस विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय विचलन जोखिम का सामना कर सकते हैं जो उन्होनें उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली या वितरण की प्रणाली लगाने हेतु, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, भागतः या पूर्णतः प्राप्त किया है।

62.2 प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत वर्ष में वर्षानुवर्षी आधार पर उस अवधि में जब ऐसे व्यय उद्भूत होते हैं, मानदण्डीय विदेशी ऋण से संगत विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन जोखिम की लागत वसूल करेगा और ऐसी विदेशी मुद्रा विनियम दर विचलन से संगत अतिरिक्त रूपये का दायित्व विदेशी ऋण जोखिम के विरूद्ध अनुमत नहीं किया जायेगा।

62.3 उस सीमा तक जहॉ उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी, ब्याज भुगतान और ब्याज पुनर्भुगतान के निमित्त अतिरिक्त रूपये के दायित्व का विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम नहीं उठा पाते हैं वहॉ उन्हें सुसंगत वर्ष में मानदण्डीय विदेशी मुद्रा अनुमति योग्य होगी, बशर्ते ऐसा उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी या इसके प्रदायकर्ताओं या संविदाकर्ताओं की वजह से न हुआ हो।

62.4 प्रत्येक उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में भिन्नता के कारण हुए आकस्मिक नुकसान जिस अवधि में यह नुकसान हुआ हो को साल दर साल के आधार पर आय एवं व्यय के रूप में वसूल करेगा।

63. **विदेशी मुद्रा विनिमय में दर परिवर्तन के कारण होने वाले आकस्मिक हानि की वसूली** –

विदेशी मुद्रा विनिमय में दर परिवर्तन के कारण होने वाली आकस्मिक हानि की वसूली सीधे उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा भी हो लाभार्थियों एवं पारेषण ग्राहकों जैसा भी हो बिना आयोग को आवेदन दिए बिना की जाएगी।

बशर्ते यदि किसी लाभार्थी द्वारा मांग की गई राशि जो विदेशी मुद्रा विनिमय में दरों की भिन्नता के कारण आकस्मिक हानि की वसूली के लिए हो उसमें आपत्ति हो तब उत्पादन कंपनी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा भी हो एक उचित आवेदन आयोग के समक्ष उनके निर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

64. **गैर टैरिफ आय** (Non tariff income) – ऐसी आमदनी जो परिसंपत्तियों को बेचने पूँजी लगाने से हुए लाभ, किराया, खुली पहुँच प्रभारों से आय समानान्तर संचालन प्रभार आस्तियों के निपटारे से होने वाली आय, अधिक/कम तंत्र के प्रयोग के कारण दण्ड से होने वाली आय विविध प्राप्तियां अनुज्ञप्तिधारी/ उत्पादन कंपनी के

द्वारा आकस्मिक स्त्रोतों जो व्यवसाय से जुड़े है से प्राप्त होगी जो ऊर्जा विक्रय के अतिरिक्त हो टैरिफ के अतिरिक्त आय कही जाएगी।

65. टैरिफ में असाधारण अंतर की संभावना को दूर करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ जो विद्युत अनुज्ञप्ति क्षेत्र के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त है उसे विनियम 3.42 में परिभाषित अनुसार टैरिफ स्थिरीकरण कोष में लगाया जाएगा।

66. **प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन योजनाएं** – कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी एक योजना तैयार करेगी और उसे आयोग की अनुमति से कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने एवं हतोत्साहित करने के लिए लागू करेगी।

67. **आवेदन शुल्क एवं प्रकाशन व्यय** – टैरिफ निर्धारण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का शुल्क और आवेदन से संबंधित नोटिसों के प्रकाशन का व्यय आयोग के स्वविवेक से उत्पादन कंपनी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण तंत्र जो भी हो, सीधे लाभार्थियों अथवा पारेषण ग्राहकों से जैसा भी हो वसूल किया जा सकेगा।

68. **शिथिलीकरण की शक्तियाँ**– आयोग के द्वारा इन विनियमों के किसी प्रावधानों को जिसके लिए लिखित कारण अंकित किए गए हो स्वयं के आदेश से अथवा किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर शिथिल किए जा सकेंगे।

69. **व्यावृत्तियां और निरसन (Saving and repeal)**

69.1 इन विनियमों की कोई बात आयोग को किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण और उसे पारित करने की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आवश्यक हो।

69.2 इन विनियमों की कोई बात, आयोग को, इन विनियमों के प्रावधानों से हटकर, परंतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से अवरोधित नहीं करेगी, जिसे आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक अथवा उचित समझे।

69.3 यह विनियम इस विषय पर जारी किए गए पहले के विनियमों को निष्प्रभावी करता है जैसे कि सी.एस.ई.आर.सी बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत पर टैरिफ तय करने हेतु अवधि व शर्ते विनियम 2008।

70. **कठिनाई हटाने की शक्ति**

इन विनियमों के किसी भी उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो आयोग, अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी आदेश द्वारा और उन्हें, जो ऐसे

आदेश से प्रभावित हो सकते हों, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रावधान, जो इन विनियमों या अधिनियम से असंगत न हो, कर सकेगा,जो उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो।

71. **संशोधन शक्ति**

इन विनियमों के किसी भी उपबंधो में परिवर्तन, परिवर्धन, उपांतरण या संशोधन किसी भी समय आयोग कर सकता है।

नोटः– इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन. सिंह)
सचिव

परिशिष्ट – I

परियोजनाओं को परा करने हेतु समयावधि

(देखे विनियम 22)

1. परियोजना की पूर्णता की समयावधि परियोजना के शुरू होने के दिनांक को लेते हुए मंडल द्वारा तय की जाएगी (उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का) परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि से लेकर उसके इकाईयों अथवा समूह के या पारेषण परियोजना के व्यावसायिक संचालन तक का होगा, जैसा लागू हो।

2. समय सारिणी निम्नांकित अनुच्छेदों में माहों में सारिणाी अनुसार दिया जा रहा है–

(a) थर्मल पावर परियोजनाएं

कोयला/लिगनाइट ऊर्जा संयंत्र

इकाई आकार 200/210/250/300/330 मेगावॉट एवं 125 मेगावॉट सी.एफ.बी.सी. तकनीक

(अ) हरित क्षेत्र परियोजना के लिए 33 माह तथा बाद की इकाईयों के लिए अंतराल 4 माह प्रत्येक के लिए

(ब) विस्तारित परियोजना के लिए 31 माह तथा बाद की इकाईयों के लिए अंतराल 4 माह प्रत्येक के लिए

इकाई का आकार 250 मेगावॉट सी.एफ.बी.सी तकनीक

(अ) हरित क्षेत्र परियोजना के लिए 36 माह तथा बाद की इकाईयों के लिए अंतराल 4 माह प्रत्येक के लिए

(ब) विस्तारित परियोजना के लिए 34 माह तथा बाद की इकाईयों के लिए अंतराल 4 माह प्रत्येक के लिए

इकाई का आकार 500/600 मेगावॉट

(अ) हरित क्षेत्र परियोजना के लिए 44 माह तथा इसके पश्चात् की इकाईयों के लिए अंतराल 6 माह प्रत्येक के लिए

(ब) विस्तारित परियोजना के लिए 42 माह तथा इसके पश्चात् की इकाईयों के लिए अंतराल 6 माह प्रत्येक के लिए

इकाई का आकार 660/800 मेगावॉट

(अ) हरित क्षेत्र परियोजना के लिए 52 माह तथा इसके बाद की इकाईयों के लिए अंतराल 6 माह प्रत्येक के लिए

(ब) विस्तारित परियोजना के लिए 50 माह तथा इसके पश्चात् की इकाईयों के लिए अंतराल 6 माह प्रत्येक के लिए

संयुक्त चक्र ऊर्जा संयंत्र (Combined Cycle Power Plant)

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावॉट (आई.एस.ओ.रेटिंग)

(अ) हरित क्षेत्र परियोजना के प्रथम भाग के लिए 26 माह इसके पश्चात् के प्रत्येक भाग के लिए अंतराल 2 माह प्रत्येक के लिए

(ब) विस्तारित परियोजना के प्रथम भाग के लिए 24 माह इसके पश्चात् की इकाईयों के लिए अंतराल 2 माह प्रत्येक के लिए

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावॉट से अधिक (आई.एस.ओ.रेटिंग)

(अ) हरित क्षेत्र परियोजना के प्रथम भाग के लिए 30 माह इसके पश्चात की समूह के लिए अंतराल 4 माह प्रत्येक के लिए

(ब) विस्तारित परियोजना के प्रथम भाग के लिए 28 माह इसके पश्चात की इकाईयों के लिए अंतराल 4 माह प्रत्येक के लिए

(b) हायड्रो विद्युत परियोजना

हायड्रो विद्युत परियोजना के लिए समय चक्र विद्युत अधिनियम (Act)के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत अभिकरण के द्वारा मूल रूप में जारी सहमति पर उल्लेखित होगा।

(c) पारेषण योजनाएँ

सीमाकारक समय सारिणी माहों में

क्र.	पारेषण–कार्य	समतल क्षेत्र (माह)	पर्वतीय क्षेत्र (माह)	घना जंगल क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र (माह)
ए.	765 के.व्ही./एस/सी पारेषण लाईन	30	36	40
बी.	+/- 500 के.व्ही.एच.व्ही.डी.सी. पारेषण लाईन	24	30	34
सी	400 के.व्ही/डी./सी. quad पारेषण लाईन	32	38	42
डी	400 के.व्ही.डी/सी triple पारेषण लाईन	30	36	40
ई	400 के.व्ही.डी./सी twin पारेषण लाईन	28	34	38
एफ	400 के.व्ही.एस/सी twin पारेषण लाईन	24	30	34
जी	220 के.व्ही डी/सी twin पारेषण लाईन	28	34	38
एच	220 के.व्ही डी/सी पारेषण लाईन	24	30	34
आई	220 के.व्ही. एस./सी पारेषण लाईन	20	26	30
जे	नई 220 के.व्ही. एसी. उपकेंद्र	18	21	24
के	नया 400 के.व्ही.एसी उपकेंद्र	24	27	30
एल	नया 765 के.व्ही एसी उपकेंद्र	30	34	———

एम	एच. वी.डी.सी.बाई पोल टर्मिनल	36	38	———
एन	एच.वी.डी.सी.बैक टू बैक	26	28	———

765 के.व्ही. का उपकेंद्र दुर्गम क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जाएगा।

टीपः–

(i) यदि कोई योजना उपरोक्त वर्णित अनुसार (समतल/पर्वतीय) श्रेणी के साथ–साथ हो तब उसके लिए सीमाकारक समय सारिणी इस कार्य हेतु अधिकतम समय सीमा संपूर्ण परियोजना हेतु ही विचारणीय होगी।

(ii) यदि कोई पारेषण लाईन समतल/पर्वतीय क्षेत्र/घने जंगलों एवं दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरती हो तो संयुक्त समय सारिणी भी गणना संबंधित लाईनों के क्षेत्र के अनुपात में प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(iii) आयोग लाईनों की लंबाई को ध्यान में रखकर सीमाकारक समय की समीक्षा कर सकता है।

परिशिष्ट – II
मूल्यह्रास विवरणी

स.क्र	आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर (साल्वेज मूल्य = 10 %)
ए.	पूर्ण मालिकाना हक की भूमि	0.0 प्रतिशत
बी.	बट्टे की भूमि	––
(ए)	भूमि हेतु लगाई गई राशियों	3.34 प्रतिशत
(बी)	साइट तैयार कराने का मूल्य	3.34 प्रतिशत
(सी)	हायड्रो उत्पादन केंद्र के लिए भराव क्षेत्र हेतु भूमि	3.34 प्रतिशत
सी.	नई खरीदी गई आस्तियाँ	––
(ए)	उत्पादन केंद्रों की मशीनरी एवं संयंत्र	––
(i)	हायड्रो विद्युत	5.28 प्रतिशत
(ii)	वाष्प विद्युत एन.एच.आर.बी एवं व्यर्थ ऊष्मा रिकवरी बॉयलर	5.28 प्रतिशत
(iii)	डीजल विद्युत एवं गैस संयंत्र	5.28 प्रतिशत
(बी)	कूलिंग टावर एवं सरकुलेटिंग जल तंत्र	5.28 प्रतिशत
(सी)	हायड्रो के भाग के रूप में हायड्रोलिक कार्य	–
(i)	बांध, स्पिलवे, वियर्स, नहरों रिइनफोर्सड कांक्रीट	5.28 प्रतिशत

	फ्लूम एवं सायफन	
(ii)	रिइनफोर्सड कांक्रीट पाइप लाईन सर्ज टैंक स्टील पाइप लाईन सुलूस गेट स्टील सर्ज टेंक हायड्रोलिक नियंत्रण बाल्ब एवं हायड्रोलिक कार्य	5.28 प्रतिशत
(डी)	**भवन एवं सिविल इंजीनियर कार्य**	
(i)	कार्यलय एवं शोरूम	3.34 प्रतिशत
(ii)	थर्मल विद्युत उत्पादन केंद्र वाले भवन	3.34 प्रतिशत
(iii)	हायड्रो विद्युत उत्पादन केंद्र वाले भवन	3.34 प्रतिशत
(iv)	अन्य	3.34 प्रतिशत
(ई)	**ट्रांसफार्मर, किओस्क उपकेंद्र के कलपुर्जे तथा अन्य लगे यंत्र (संयंत्र सहित)**	
(i)	ट्रासफार्मर और उसके आधार जिनकी रेटिंग दर 100 के.वी.ए. और अधिक है	5.28 प्रतिशत
(ii)	अन्य	5.28 प्रतिशत
(एफ)	केबिल कनेक्शन सहित स्विच गियर	5.28 प्रतिशत
(जी)	**लाईटिंग अरेस्टर**	
(i)	स्टेशन प्रकार	5.28 प्रतिशत
(ii)	पोल टाईप	5.28 प्रतिशत
(iii)	संकुचित कंडेन्सर (Synchronous condenser)	5.28 प्रतिशत
(एच)	**बैटरीज**	5.28 प्रतिशत
(i)	भूमिगत लाईने जुड़े हुए बाक्स एवं अलग किए बाक्स	5.28 प्रतिशत
(ii)	केबल डक्ट पद्धति	5.28 प्रतिशत
(आई)	**केबल के सहारे ऊपरी लाईनों सहित**	
(i)	बनाई गई स्टील आधारित लाईने जो 66 के.व्ही से अधिक क्षमता पर संचालित हों	5.28 प्रतिशत
(ii)	स्टील आधारित लाईने जो 13.2 के. व्ही से अधिक परंतु 66 के.व्ही से अधिक नहीं क्षमता पर संचालित हो	5.28 प्रतिशत
(iii)	स्टील की लाईने जो कांक्रीट से जमाई गई है।	5.28 प्रतिशत
(iv)	लाईने जो उपचारित लकड़ी पर आधारित है।	5.28 प्रतिशत
(जे)	मीटर	5.28 प्रतिशत

(के)	स्वचालित वाहन	9.50 प्रतिशत
(एल)	**एयर कंडीशन संयंत्र**	
(i)	स्थाई लगे हुए	5.28 प्रतिशत
(ii)	पोर्टेबल	9.50 प्रतिशत
(एम)	(i) कार्यालयीन उपस्कर एवं साज सज्जा	6.33 प्रतिशत
	(ii) कार्यालयीन उपकरण	6.33 प्रतिशत
	(iii) आंतरिक विद्युत फिटिंग एवं उपकरण	6.33 प्रतिशत
	(iv) सड़क रोशनी सज्जा	5.28 प्रतिशत
(एन)	**उपकरण जो किराए पर लिए गए**	
	(i) मोटर के अतिरिक्त	9.50 प्रतिशत
	(ii) मोटर	6.33 प्रतिशत
(ओ)	संवाद उपकरण	
(i)	रेडियो एवं उच्च तरंगों को वहन तंत्र	6.33 प्रतिशत
(ii)	टेलीफोन लाईन एवं टेलीफोन	6.33 प्रतिशत
(पी)	सूचना तकनीकी उपकरण	15.00 प्रतिशत
(क्यू)	कोई अन्य आस्तियां जो उपरोक्त के अंतर्गत ना हो	5.28 प्रतिशत

परिशिष्ट – III

एक माह हेतु पारेषण तंत्र उपलब्धता घटक हेतु गणना पद्धति

1. एक कलेण्डर माह के लिए पारेषण तंत्र उपलब्धता घटक (TAFM) की गणना संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी एवं संबंधित आर.एल.डी.सी के द्वारा जांच की जाएगी एवं साक्ष्यांकित करने का कार्य सदस्य–सचिव क्षेत्रीय ऊर्जा समिति संबंधित क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा जो ए.सी.एवं एच.वी.डी.सी पारेषण के लिए अलग–अलग होगा एवं पारेषण प्रभारों के हिस्सेदारी के अनुसार समूहिकृत किया जाएगा।

2. ए.एफ.एम का प्रतिशत (100–100Xएन.ए.एफ.एम) के बराबर होगा, जहॉ एन.ए.एफ.एम अनुपलब्धता घटक हो वह पूरे माह के लिए पारेषण तंत्र/उपतंत्र के लिए होगा।

3. एन.ए.एफ.एम जो एसी पद्धति/उप पद्धति के लिए होगा उसकी गणना निम्नानुसार होगीः–

$$NAFM = \left[\sum_{l=1}^{L}(OH_l \times Cktkm\ l \times NSC1) + \sum_{t=1}^{T}(OH_t \times MVA_t \times 2.5)\right.$$

$$+\sum_{r=1}^{R}(OH_r \times MVAE_r \times 4) \div THM \times \left[\sum_{l=1}^{L}(Cktkm\ l \times NSC_l) + \sum_{t=1}^{T}(MVA_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^{R}(MVAR_r \times 4)\right]$$

जहाँ –

1 = पारेषण लाईन सर्किट को चिन्हित किया जाता है।

T = ट्रांसफार्मर/आई सीटी का चिन्हित किया जाता है।

R = बस रिएक्टर स्विचेबल लाइन रिएक्टर या एसबीओ को चिन्हित किया जाता है।

L= सर्किट लाइनों की संपूर्ण संख्या

T = ट्रांसफार्मर की तथा आईसीटीकी संपूर्ण संख्या

R = बस रिएक्टर स्विचेबल लाइन रिएक्टर एवं एसवीसी की संख्या

OH = माह में अप्राप्ता अवधि (आडटेज आवर) कंडिका 5 के अनुसार उस अवधि में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से वाधित अवधि यदि कोई हो घटाकर

Cktkm = पारेषण लाइन की सरर्किट लंबाई किलोमीटर में

NSC = प्रतिफेज सब कंडक्टरों की संख्या

MVA = ट्रांसफार्मर/आईसीटी की एमवीए रेटिंग

MVAR = MVAR बस रिएक्टर की रेटिंग स्विचेबल लाइन रिएक्टर या एक एस व्हीसी इन मामलों में प्रतिस्थापित समावेशित क्षमता का मूल्य होगा।

THM = माह के घंटों की संख्या

4. HVDC पद्धति के प्रति NAFM की गणना निम्नानुसार अलग से होगा।

NAFM = [Σ (TCR x घंटे)] ÷ THM x RC]

जहॉ

TCR = मेगावाट में पारेषण क्षमता में कमी

RC = पद्धति की रेटेड क्षमता मेगावाट में

उपरोक्त उद्देश्य के लिए HVDC टरमिनल, सीधे जुड़ी हुई EHV/HVDC लाइनों को HVDC पद्धति की सघन इकाई (माना जाएगा)

5. ऐसे ट्रांसमिसन एलीमेंट जो निम्न कारण से बंद हो उसे उपलब्ध माना जायेगाः

(i) अन्य ट्रांसमिशन स्कीम के संधारण या निर्माण के लिए गए शटडाउन यदि अन्य ट्रांसमिशन स्कीम ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित हो तो आर.पी.सी. के मेम्बर सेक्रेटरी, डिम्ड एवलिटी पीरियड को, कार्य के प्रकार को देखते हुए कम करने के लिए विचार कर सकता है।

(ii) ओव्हर वोल्टेज को सीमित करने के लिए ट्रांसमिशन लाईन को बंद करना और स्वीच्ड रियेक्टर को हस्तचलित बंद करना आर.एल.डी.सी. के निर्देश पर होगा।

6. ट्रांसमिशन लाईन के निम्न आकस्मिक कारणों से आउटेज टाईम कुल विचाराधीन समयावधि में सम्मिलित नहीं होगा।

(i) प्राकृतिक कारणों से और ट्रांसमिशन लाईसेंसी के नियंत्रण के बाहर अप्रत्याशित घटना के कारण ट्रांसमिशन एलिमेंट का बंद होना। फिर भी ट्रांसमिशन लाईसेंसी को आर.पी.सी. के मेम्बर सेक्रेटरी को संतुष्ट करने का दायित्व होगा कि आउटेज उपरोक्त कारणों से ही है, न कि डिजाईन विफलता से है। आर.पी.सी. के मेम्बर सेक्रेटरी उचित पुनः प्रचलन समयावधि के लिए विचार कर सकता है। पुनः प्रचलन हेतु लिए गए अतिरिक्त समयावधि का उत्तरदायित्व ट्रांसमिशन लाईसेंसी पर होगा जो आउटेज टाईम माना जायेगा। आर.पी.सी. के मेम्बर सेक्रेटरी उचित पुनः प्रचलन समयावधि अनुमान के लिए ट्रांसमिशन लाईसेंसी या अन्य विशेषज्ञ से सलाह ले सकता है। सर्किट जो ई.आर.एस. से पुनः प्रचलन में आता है उपलब्ध माना जायेगा।

(ii) ग्रिड इन्सीडेन्ट/डिस्टरबेन्स जैसे– सब स्टेशन में खराबी, लाईन आई.सी.टी., एच. व्ही.डी.सी. की ट्रिपिंग के कारण हुए आउटेज जिसके लिए ट्रांसमिशन लाईसेंसी उत्तरदायी नहीं है। फिर भी यदि आर.एल.डी.सी. के निर्देश पर ग्रिड इन्सीडेन्ट/डिस्टरबेन्स के बाद ट्रांसमिशन एलिमेंट को उचित समयावधि में पुनः प्रचलन में नहीं लाया जाता तब यह ट्रांसमिशन एलिमेंट का आउटेज माना जावेगा।

————